



DDA
HOUSING
SCHEME **10**

from 25th November, 10 to 24th December, 2010

Approx.
16000
Flats



Delhi Development Authority

फार्म भरने के लिए अनुदेश

सामान्य अनुदेश

- क. केवल बड़े (केपिटल) अक्षर लिखें।
- ख. प्रत्येक बॉक्स में केवल अक्षर/संख्या लिखें।
- ग. प्रत्येक शब्द के बाद एक बॉक्स खाली छोड़ें।
- घ. अपने डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पीछे अपना नाम, आवेदन संख्या और टेलीफोन नंबर लिखें।
- ङ. दिए गए बॉक्स में अपनी नवीनतम फोटो लगाएँ तथा फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स में और आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।
- च. संयुक्त आवेदन के मामले में दिए गए बॉक्स में संयुक्त आवेदक की नवीनतम फोटो चिपकाएँ और फोटो के नीचे दिए गए बॉक्स तथा आवेदन पत्र में नीचे हस्ताक्षर करें।

विशेष अनुदेश

1. पैन (आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता सं) कार्ड/पत्र में दिए अनुसार आवेदक का नाम लिखें।
2. पैन कार्ड/पत्र में दिए अनुसार प्रथम आवेदक के पिता का नाम लिखें।
3. प्रथम आवेदक के पति/पत्नी का नाम (यदि विवाहित है)।
4. प्रथम आवेदक की स्थायी खाता संख्या यहां दी जाए और पैन कार्ड/सूचना पत्र की प्रति संलग्न की जाए।
5. प्रथम आवेदक के बैंक खाते के विवरण दिए जाएं। यदि एक आवेदक ने किसी अन्य खाते या फर्म के खाते या कम्पनी के खाते से धनराशि निकाली है तो आवेदन पत्र में दिए गए प्रथम आवेदक के बैंक के विवरण दिए जाएं। बैंक के ये विवरण नाम के साथ धन राशि वापसी करने के बैंक पर मुद्रित किए जाएंगे और इस धन राशि वापसी के बैंक को उस खाते में जमा किया जा सकता है यदि आवेदक का नाम और बैंक के विवरण बैंक के अभिलेख से मेल खाते हैं। संयुक्त नामों पर आवेदन के मामले में धन राशि वापसी का बैंक प्रथम आवेदक के नाम पर जारी किए जाएंगे, इसलिए प्रथम आवेदक के बैंक विवरण दिए जाएं।
- 6 व 7. कृपया एसटीडी कोड के साथ अपना फोन नंबर और यदि कोई मोबाइल नंबर हो, दें। आवेदक के हित में होगा कि वे अपने नंबर दें, क्योंकि किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर इन नंबरों पर आवेदक से सम्पर्क किया जा सकता है।

8. आवेदक की श्रेणी का कोड लिखें। यदि आवेदक आरक्षित श्रेणी का है तो प्रमाण संलग्न करें। प्रत्येक श्रेणी का कोड निम्नानुसार है :

श्रेणी	कोड
अनुसूचित जाति	अज
अनुसूचित जनजाति	अजज
युद्ध(में शहीद सैनिकों की विधवा)	सै. वि.
शारीरिक विकलांग	शा. वि.
पूर्व सैनिक	पू. सै.
सामान्य श्रेणी	सा. श्रे.

9. यहाँ प्रथम आवेदक का आवासीय पता दिया जाए और प्रमाण की प्रति संलग्न की जाए।
10. पत्राचार का पता लिखें, जहाँ आवेदक अपना धन राशि वापसी का बैंक/मांग-पत्र एवं आबंटन पत्र मंगाना चाहता है।
11. यदि आवेदन संयुक्त नाम पर किया गया हो तो संयुक्त आवेदक का नाम लिखें।
12. क) यदि पति व पत्नी दोनों ने आवेदन किया है तो पति/पत्नी (स्प्राउस) का नाम लिखें।
ख) यदि पति व पत्नी दोनों ने आवेदन किया है तो पति/पत्नी (स्प्राउस) के आवेदन पत्र की संख्या लिखें।
13. आवेदक जिन स्थानों के लिए आवेदन करना चाहता है, कृपया वे सभी वरीयताएँ भरें, जिन वरीयताओं को भरा नहीं गया हो, उन पर X का निशान लगाएँ।
14. पंजीकरण राशि ₹ 1,50,000/- अथवा ₹ 50,000/- (केवल जनता /एक कमरे वाले मकान के लिए) जैसा भी मामला हो के विवरण लिखें। डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक दिल्ली/नई दिल्ली में देय डीडीए हाउसिंग के पक्ष में होना चाहिए। यदि आवेदक ने डाउनलोड किया गया फॉर्म उपयोग किया है तो पूरी तरह से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ ₹ 105/- (₹100/- रुपये फार्म की कीमत व ₹ 5/- रुपये डी-वैट) का अलग से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक दिया जाए।

INSTRUCTIONS TO FILL FORM

GENERAL INSTRUCTIONS

- a) Only Capital letters should be used.
- b) Use one box for one letter/number.
- c) Leave one box blank after one word.
- d) Write your name, application number and telephone number at the back of your demand draft/banker's cheque.
- e) Paste latest photograph in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form
- f) In case of joint application, paste the latest photograph of the joint applicant in the box provided and sign in the box below the photograph and at the bottom of the application form.

SPECIFIC INSTRUCTIONS

1. Write name of the applicant as given in PAN (Permanent Account Number issued by the Income Tax Department) Card/ Letter.
2. Write father's Name of first applicant as given in PAN Card/ Letter.
3. Write name of spouse of the 1st Applicant (if married).
4. Permanent account number of first applicant need to be given here and copy of PAN card/intimation letter of PAN to be enclosed.
5. Give detail of bank account of first applicant. If an applicant has withdrawn money from any other account or firm's account or company's account, the bank detail of the first applicant whose name is given in the application form need to be given. These bank details would be printed on the refund cheque along with the name and refund cheque can be deposited in that account if name of the applicant and bank particulars match with the records with bank. In case of application in joint name refund cheque would be issued in the name of first applicant hence bank detail of the first applicant need to be given.
- 6&7. Please give phone number with STD code and mobile number if any. It would be in the interest of the applicant to give these details as it helps the bank to contact the applicant in case of any need.

8. Write code for the category to which the applicant belong. In case applicant is from reserve category, enclose proof. The code for each category is given above :

Category	Code
Scheduled Caste	S C
Scheduled Tribe	S T
War Widows	W W
Physically Handicapped	P H
Ex-Servicemen	E X
General Category	G E

9. Residential address of the first applicant need to be given here and copy of proof to be enclosed.
10. Write correspondence address where the applicant wants to reach his refund cheque/demand letter-cum allotment letter.
11. In case application is preferred in joint name, write the name of the joint applicant.
12. (i) Write the name of the spouse, if both husband and wife applied.
(ii) Write Application no. of the spouse, if both husband and wife applied.
13. Please write the code (given in Annexure 'A') for the locality to which applicant want to fill all preferences, put cross mark in preferences not filled.
14. Write details of the registration money of ₹. 1,50,000/- or ₹.50,000/-(Janta/ORT only) as the case may be. Demand draft/banker's cheque should be in favour of DDA HOUSING - payable at Delhi/New Delhi only. In case applicant has used downloaded application form, separate demand draft/banker's cheque of ₹. 105/- (cost of form ₹.100/- + ₹.5/- D-Vat) to be given to the bank along with the completely filled application form.

1. योजना

- I इस योजना का नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण की "दि.वि.प्रा. आवासीय योजना-2010" है।
- II योजना दिनांक 25.11.2010 से 24.12.2010 तक खुली रहेगी।
- III योजना के अन्तर्गत दिए गए फ्लैट्स का विवरण संलग्नक 'ए' में दिया गया है। फ्लैट्स "जहाँ है जैसा है" के आधार पर दिए जाएंगे। सभी फ्लैट्स पूर्ण एवं कब्जे हेतु तैयार स्थिति में हैं।

2. पात्रता

- I आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- II उसे वयस्क होना चाहिए। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
- III आवेदक के पास दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी क्षेत्र में पट्टा धारिता आधार पर, फ्री होल्ड आधार पर, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अवयस्क अथवा आश्रित बच्चों के नाम पर कोई मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए।
- IV परिवार का अर्थ है जीवन साथी (यदि कोई हो), आश्रित/अवयस्क बच्चे, यदि कोई हो।
- V पात्रता शर्तों को पूरा करने पर पति-पत्नी दोनों इस प्रावधान के साथ फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि दोनों के सफल होने पर केवल एक को ही फ्लैट आवंटित किया जायेगा।
- VI एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है।
- VII ऐसा व्यक्ति, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी विभाग द्वारा निर्मित मकान/प्लॉट आवंटित किया जा चुका है। वह इस योजना के अन्तर्गत अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
- VIII कोई आय मानदंड नहीं है। आवेदक अपनी आवश्यकता और वहन-क्षमता के अनुसार आवेदन कर सकता है।
- IX आवेदक का किसी अनुसूचित बैंक में आवेदन की तिथि पर खाता होना चाहिए और आवेदन का विवरण भरा होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाये कि संबंधित बैंक ने ऐसे खातों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के 'केवाईसी' मानकों का पालन किया है।
- X आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (परमानेंट एकाउंट नंबर) (पैन) होना चाहिए और आवेदन पत्र में इसको भरा जाए।

3. आरक्षण

इस योजना के अन्तर्गत आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है।

- I 17.5 प्रतिशत फ्लैट अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे
- II 7.5 प्रतिशत फ्लैट अनुसूचित जन-जाति के आवेदकों के लिए आरक्षित होंगे। यदि अनुसूचित जनजाति के आवेदकों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते हैं, तो शेष फ्लैटों का निपटान अनुसूचित जाति श्रेणी के आवेदकों के पक्ष में कर दिया जाएगा और ऐसी ही व्यवस्था ठीक इसके विपरीत भी की जाएगी।
- III 1 प्रतिशत फ्लैट युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- IV 1 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, और
- V 1 प्रतिशत फ्लैट भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित होंगे।

टिप्पणी :

- क) यदि किसी भी श्रेणी में फ्लैटों की संख्या अंश में अर्थात् 0.5 से कम आती है तो पूर्णांक में बदलकर शून्य और यदि 0.5 से अधिक आती है तो पूर्णांक में बदलकर एक कर दिया जाएगा।
- ख) यदि आवेदन अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त नाम पर दिया गया है तो संयुक्त आवेदन उसी श्रेणी में या रक्त संबंध में या परिवार में होना चाहिए जैसा पैरा 2.IV में बताया गया है।
- ग) यदि आवेदन युद्ध में शहीद की विधवाओं, शारीरिक विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त नामों पर दिया गया है तो आवेदक पैरा 2.IV में बताए अनुसार परिवार के अंदर से या रक्त संबंधी होना चाहिए।
- घ) यदि उक्त उल्लिखित पांच श्रेणियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होते, तो बचे हुए सभी फ्लैटों का प्रस्ताव गैर-आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा।

4. आवेदन कैसे करें

- I इस योजना के अन्तर्गत एक फ्लैट के लिए आवेदन कर रहे आवेदक को ₹ 1,50,000/- अथवा ₹ 50,000/- (केवल जनता/एक कमरे

1. SCHEME

- I. The scheme is called "DDA Housing Scheme, 2010", of the Delhi Development Authority".
- II. The scheme shall remain open from 25-11-2010 to 24-12-2010.
- III. Detail of flats under this scheme is given in annexure 'A'. Flats are given on "As is where is Basis". All the flats are already constructed and are ready for occupation.

2. ELIGIBILITY

- I. The applicant must be a citizen of India.
- II. He/ She should have attained the age of majority. For this an applicant should have completed 18 years of age as on the date of filling of the application for a flat.
- III. The applicant must not own any residential flat or plot in full or in part on lease hold or free hold basis in Delhi / New Delhi/ Delhi Cantonment either in his/ her own name or in the name of his/her wife / husband or in the name of his / her minor or dependent children.
- IV. **Family means spouse (if any), dependent/minor children, if any.**
- V. Both husband and wife can apply for flats subject to fulfillment of eligibility condition with a stipulation that if both are found to be successful only one shall be allotted flat.
- VI. **One person can submit one application only.**
- VII. A person who has already been allotted a plot or house/ flat constructed by the DDA or any other land owning department shall not be eligible to apply for another flat under this scheme.
- VIII. There is no income criterion. The applicant can apply according to his/her requirement and affordability.
- IX. The applicant must have an account in any bank and the particulars must be filled in the application form. It is assumed that the bank has followed 'KYC' norms of Reserve Bank of India in respect of such Accounts.
- X. **Applicant must have Permanent Account Number allotted under the provisions of Income Tax Act and the same must be quoted on the application form.**

3. RESERVATIONS

The details of reservations under this scheme are as given below:-

- I. 17.5 % of the flats for persons belonging to Scheduled Castes.
- II. 7.5% for applicants belonging to Scheduled Tribes. If adequate number of applications are not received from applicants belonging to ST category, remaining flats shall be disposed of in favour of applicants belonging to SC category and vice-versa.
- III. 1% for war widows.
- IV. 1% for physically handicapped persons; and
- V. 1% for ex-serviceman.

Notes:

- a. In case No(s) of flats in respect of reserved category comes to fraction i.e. less than 0.5 it would be rounded off to zero and if it is 0.5 or more it would be rounded off to one.
- b. In case of application preferred in joint name under SC or ST reserved category, the joint applicant should also belong to the same category or should be in the blood relation or should be within the family as defined in Para 2.IV.
- c. In case of application preferred in joint names under War Widows, Physically Handicapped, Ex-serviceman reserved category, the joint applicants should be from within the family as defined in Para 2.IV or should be in the blood relation.
- d. If requisite number of applications are not received from the above mentioned five categories, all remaining flats shall be offered to the persons of non-reserved categories.

4. HOW TO APPLY

- I. The applicant applying for a flat under this scheme shall have to deposit the registration money of ₹1,50,000/- or ₹50,000/- (Janta/ORT only) as the case may be by a Single Banker's Cheque/ Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New

के मकान के लिए) जैसा भी मामला हो की पंजीकरण राशि "दि.वि. प्रा. आवास" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी बैंक के सिंगल (एक) बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी। डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले आवेदकों को ₹ 1,50,000/- अथवा ₹ 50,000/- (केवल जनता/एक कमरे के मकान के लिए) जैसा भी मामला हो. के साथ ₹ 105/- (₹ 100/- फार्म की कीमत व ₹ 5/- डी-वैट) का एक अलग ड्राफ्ट/बैंकर चैक जमा करना होगा। बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट पूर्ण रूप से भरे हुए निर्धारित प्रपत्र पर संलग्नक (ब) में दर्शायी निर्धारित बैंक शाखाओं में से एक शाखा में योजना समाप्ति तक सभी कार्य दिवसों में जमा किया जाना है। विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र संलग्नक (ब) में दर्शाए गए बैंक शाखाओं के प्रबन्धकों के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा, योजना समाप्ति के 15 दिन पूर्व भेजे जा सकते हैं लिफाफे के ऊपर स्पष्टतया "दि.वि.प्रा. की आवास योजना-2010" के अन्तर्गत आवेदन, लिखा होना चाहिए। चैक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अनेक बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- II. आवेदन-पत्र आवासीय स्कीम बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान-पत्र की तिथि आवासीय स्कीम के बंद होने के बाद की है, तो ऐसे आवेदन-पत्रों को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार केवल आवेदक होगा। दि.वि.प्रा. लाटरी के ड्रॉ में ऐसे आवेदन-पत्र पर विचार नहीं करेगा।
- III. आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी/अपने इच्छानुसार अपनी प्राथमिकता लिखने के लिए संलग्नक 'अ' में दिये हुए कोड को भरें एवं शेष बाक्स में सही का निशान लगाएं। यह मान लिया जाएगा कि प्राथमिकता देने से पहले आवेदक ने स्थल को देख लिया है। यदि कोई बाक्स खाली रहता है अथवा क्षत्र हेतु प्राथमिकता नहीं दर्शायी जाती तो आवेदन-पत्र अपूर्ण माना जाएगा एवं निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदक द्वारा सेक्टर/ पॉकेट/ तल को बदलने के लिए किसी आवेदन पर दि.वि.प्रा. द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
- IV. आवेदन-पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत प्लैट लेना चाहता है। किसी भी आवेदक को आवेदन-पत्र में किसी विवरण को काटना, मिटाना या उसके ऊपर दोबारा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई आवेदक परिवर्तन करना चाहता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वह नया आवेदन-पत्र प्राप्त करके उसे भरें।
- V. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण आवेदन-पत्र आवेदक को बिना कोई कारण बताए सीधे ही रद्द कर दिए जाएंगे।
- VI. दि.वि.प्रा. की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्ति को भी इस योजना की पूरी पंजीकृत राशि का भुगतान करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत ड्रा निकल जाने पर आवेदक को पूर्व योजना की पंजीकरण राशि वापसी हेतु अलग से लिखित प्रार्थना पत्र देना होगा।

5. जमा किए जाने वाले दस्तावेज

I. आवेदन पत्र के साथ

क) सभी श्रेणियों के लिए :

- (i) आयकर विभाग द्वारा आबंटित पैन (स्थायी खाता संख्या) की स्व-सत्यापित प्रति।
- (ii) आवास का प्रमाण, उदाहरण के लिए पासपोर्ट या पहचान पत्र या चुनाव पहचान पत्र या राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन बिल या बिजली के बिल या पानी का बिल या आवास कर रसीद या बैंक की खाता पुस्तिका (नाम और पते वाले पृष्ठ सहित) या सीजीएचएस कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति।
- (iii) आवेदन-पत्र में उल्लिखित खाते की बैंक पास बुक/विवरण की स्व-सत्यापित प्रति।

ख) आरक्षित श्रेणी के लिए

उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त, किसी भी आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे;

- (i) यदि आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणियों से सम्बन्ध रखता है, तो उसे संबंधित क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट से प्राप्त मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (ii) यदि आवेदक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करता है, तो उसे सरकारी अस्पताल के मेडिकल

Delhi. Applicants using downloaded form need to deposit separate draft/ banker cheque of ₹105/- (₹100/- cost of form + ₹5/- D-Vat) in addition to ₹1,50,000/- or ₹50,000/- (Janta/ORT only) as the case may be. This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented along with the application form completed in all respects on the prescribed form at one of the prescribed bank branches as mentioned in annexure B, on working days during the currency of the scheme. Duly filled up application can also be sent by registered post addressed to the Branch Managers of nodal bank branches as mentioned in annexure B to reach not later than 15 days before the last date of closure of the scheme. The envelope should be clearly marked "Application under DDA Housing Scheme 2010". Payment by cheque, Multiple Bankers' Cheque/ Demand Draft will not be accepted with the application form.

- II. **Application forms will not be accepted after date of closure**, in case it is found at any stage that the issue date of payment instrument is after the closure of the housing scheme, such applications would be summarily rejected and the applicant would be solely responsible for this, DDA would not entertain any such application in draw of lots.
- III. The applicant may give one or more preferences of his/ her choice by writing locality codes, given in Annexure 'A', in appropriate box and put a cross (x) against the preferences not exercised. It is presumed that applicant has seen the locality before giving preference. **If any box is left blank or preferences are not given in prescribed locality codes, form would be considered incomplete and would be rejected.** No preference for sector/ pocket/ floor can be exercised by the applicant and no request for change of sector, pocket or floor shall be entertained by the DDA.
- IV. The application form should be signed only by the applicant himself, who wants to get a flat under this Scheme. No applicant should make any cutting, erasing or overwriting in the application. In case a person desires to make changes, it is advised to obtain and fill up a fresh application.
- V. No conditional application form will be considered. Incomplete application forms shall be rejected summarily without conveying any reason to the applicant.
- VI. Persons holding a registration with DDA under any of its other schemes can also apply under this scheme. They, however, have to make payment of Registration Amount of the scheme in full. They should separately make a written request for withdrawal of Registration Deposit of the earlier scheme once they are successful in this scheme.

5. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED

I ALONG WITH APPLICATION FORM

(A) FOR ALL CATEGORIES

- (i) Self attested Copy of PAN (Permanent Account Number), allotted by Income Tax Department.
- (ii) Proof of residence e.g. self attested copy of passport or identity card or election card or ration card or driving license or telephone bill or electricity bill or water bill or house tax receipt or bank pass book (page carrying name and address) or CGHS card.
- (iii) Self attested copy of bank Pass Book/ Statement of account mentioned in the application form.

(B) FOR RESERVED CATEGORY

In addition to (A) above, persons applying under any of the reserved categories have to submit:-

- (i) An attested copy of the original certificate from the District Magistrate/Sub Divisional Magistrate of the area concerned in case the applicant belongs to the Reserved Category of SC/ST.
- (ii) An attested copy of the original certificate issued by the Medical Board of a Govt. Hospital in case the applicant is applying under the reserved category of physically handicapped persons.
- (iii) An attested copy of Discharge Certificate from the competent authority of Ministry of Defence / Dept. of Defence in case of Ex-serviceman.

बोर्ड द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- (iii) भूतपूर्व सैनिक के मामले में रक्षा मंत्रालय/रक्षा विभाग के उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (iv) यदि आवेदक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आता है, तो उसे रक्षा मंत्रालय/रक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए "अपेक्षित प्रमाण-पत्र" की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (v) यदि आवेदक अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता, तो उसके मामले पर आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवंटन हेतु विचार नहीं किया जाएगा और उसके मामले को सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

II. फ्लैट का कब्जा प्राप्त करने के लिए

- क) पास बुक/बैंक प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बैंक स्टेटमेंट के साथ आबंटन राशि जमा करने का भुगतान प्रमाण।
- ख) स्टाम्प कलेक्टर के कार्यालय से विधिवत स्टाम्प लगाया गया कन्वीएस डीड/ कन्वीएस डीड का खाली फॉर्म आबंटियों को माँग पत्र के साथ भेजा जाएगा।
- ग) अनुलग्नक-सी, डी और ई में दिए गए अनुसार शपथ पत्र।
- घ) अनुलग्नक एफ और जी में दिए गए अनुसार वचन पत्र।
- ङ) अनुलग्नक-एच में दिए गए कब्जे के पत्र की विधिवत भरी गई चार प्रतियाँ।
- च) स्वयं की तथा पत्नी, यदि कोई हो, की फोटो और तीन हस्ताक्षर, अनुलग्नक- आई में दिए गए प्रपत्र के अनुसार विधिवत सत्यापित।
- छ) पहचान का तथा आवासीय पते का प्रमाण।
- ज) आवेदन पत्र में यथा उल्लिखित पैन कार्ड की स्वयं साक्ष्यांकित प्रतिलिपि।

6. आवंटन का तरीका

सभी पात्र आवेदकों के मामलों में बेतरतीब संख्या निर्दिष्ट तकनीक (रैंडम नम्बर टेक्नीक) पर कम्प्यूटरीकृत ड्रा के माध्यम से फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। ड्रा, पर्यवेक्षकों के पैनल की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

7. आवंटन का परिणाम

- I. ड्रा का परिणाम विकास सदन, डी-ब्लॉक, आई.एन.ए., नई दिल्ली-23 स्थित दि.वि.प्रा. के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दि.वि.प्रा. की वेबसाइट <http://www.dda.org.in> पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। परिणाम प्रमुख राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।
- II. आवंटन एवं मांग-पत्र स्पीड पोस्ट/कोरियर/पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा, यदि आवेदक को उपर्युक्त साधनों के द्वारा भेजे जाने के बाद भी सूचना प्राप्त नहीं होती तो परिणाम का पता लगाने की जिम्मेदारी पूर्णतया आवेदक की होगी। यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहाँ प्रवेश (कोरियर का) प्रतिबंधित है, तो वापस की गई राशि/माँगपत्र सहित भेजे गए सभी संचार कूरियर के असफल रहने पर उपलब्ध तरीके से भेजे जाएंगे। आवेदक को ऐसे मामलों में अनुलग्नक बी में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारी से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। ऐसे मामलों में आवेदक/आबंटी को संचार (पत्र आदि) देर से मिलने/नहीं मिलने के लिए दि.वि.प्रा./बैंक उत्तरदायी नहीं होंगे।
- III. प्राथमिकता के क्रम में 600 आवेदकों की एक अलग प्रतीक्षा सूची भी घोषित की जाएगी। यह प्रतीक्षा सूची माँग पत्रों के जारी होने से केवल 9 माह तक वैध होगी। प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृतों के साथ असफल पंजीकृतों की पंजीकरण राशि वापस दे दी जाएगी। यद्यपि, ड्रा में जाने से पहले रिवित्तियों भरने के लिए ऐसा होने पर ऐसे सभी पात्र प्रतीक्षा सूची वाले व्यक्तियों से पंजीकरण राशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। उन्हें इसके लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा तथा जो ड्रा के पहले पंजीकरण राशि जमा कर देते हैं केवल उनका नाम शामिल किया जाएगा। पूर्व में तय की गई प्राथमिकता के अनुसार प्रतीक्षा सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को वापस किए गए फ्लैट आबंटित करने के लिए माँग पत्र जारी करने की तिथि से 6 माह बाद केवल एक बार ड्रा आयोजित किया जाएगा। माँग पत्र जारी होने के 6 माह के अंदर वापस किए गए फ्लैट ही प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृतों को आबंटित करने के लिए शामिल किए जाएंगे। यह प्रतीक्षा सूची केवल इसलिए बनाई गई है कि वापस किए गए फ्लैट (यदि कोई हो), खाली रखने के बजाय उन्हीं पंजीकृतों को आबंटित किए जाएँ और यह सूची 9 माह तक वैध

- (iv) An attested copy of "Requisite Certificate" issued by the Ministry of Defence/Dept. of Defence, in case applicant comes under Reserved Category of war-widow.
- (v) An applicant not submitting the requisite documents will not be considered for allotment under the Reserved Category and will be treated under the General Category.

II. FOR POSSESSION OF FLAT

Applicant to submit:

- a. Copy of Bank account Pass Book/Bank Statement duly attested by the Bank Manager from which the Allotment money has been deposited alongwith Payment proof.
- b. Conveyance deeds duly stamped from the office of collector of stamps. Blank Conveyance deeds would be sent to allottees alongwith the demand letter.
- c. Affidavit as per proforma given in Annexure-C, D & E.
- d. Undertakings as per proforma given in Annexure-F & G.
- e. Duly filled possession letter in quadruplicate given in Annexure-H.
- f. Photograph and three signatures of self and wife, if any, duly attested as per proforma given in Annexure- I.
- g. Identity proof and address proof.
- h. Self Attested Copy of PAN Card as mentioned in the application.

6. MODE OF ALLOTMENT

All the eligible applicants shall be considered for allotment through a computerized draw based on random number technique. The draw shall be held in the presence of panel of observers.

7. RESULT OF ALLOTMENT

- I. The results of the draw shall be displayed on the Notice Board of DDA at Vikas Sadan, D-Block, INA, New Delhi-23. In addition the result shall be displayed on the website of DDA with the address <http://www.dda.org.in>. The result will also be published in the leading National Newspapers.
- II. The allotment-cum-demand letters will be dispatched through Speed Post/Courier/Registered Post but it shall be the sole responsibility of the applicant to check the result of the draw if he/she does not get information despite the afore mentioned means. In case applicant has given address of a place/office, where entry (of courier) is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/ demand letter on failure of courier would be through available mode. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in Annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.
- III. A separate waiting list of 600 applicants will also be declared in order of priority. The waiting list will be valid only for 9 months from the date of issue of demand letters to successful applicants. The registration money of the wait listed registrants shall be refunded along with unsuccessful registrants. However, before going for the draw in case the same takes place for filling up the vacancies, all such eligible waitlisted shall be asked to deposit the registration money. 15 days time shall be given to them to do so and only those names shall be included who would be depositing their registration money prior to the draw. A draw will be held only once after six months, from date of issue of demand letters, for allotment of the surrendered flats to the wait listed registrants as per the priority decided initially. Only those flats which are surrendered within six months from date of issue of demand letters would be included for allotment to waitlisted registrants. The waiting list is created just to ensure that the surrendered flats (if any) are allotted to same registrants rather than keeping them vacant and the list will be valid only for 9 months, hence it doesn't create any right of the wait listed registrants if they fail to get a flat from the surrendered ones. If successful, the cost would be the cost of the flat on the date the demand cum-allotment letter is issued.

रहेगी, इसलिए यदि प्रतीक्षा सूची वाले पंजीकृत व्यक्ति वापस किए गए फ्लैटों में से एक फ्लैट पाने में असफल रहते हैं तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। यदि वे सफल रहते हैं तो इस फ्लैट का मूल्य माँग एवं आबंटन पत्र की तिथि पर फ्लैट का मूल्य होगा।

8. आवंटन की स्थिति

आवंटन फ्री-होल्ड आधार पर किया जाएगा। वैसे टाइटल तभी स्थानान्तरित होगी जब कन्वीयेंस डीड दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटनी के नाम निष्पादित कर दी जाएगी और आवंटनी उसको सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय से पंजीकृत कराने के उपरान्त प्राप्त कर लेगा।

9. पंजीकरण राशि पर ब्याज

- सफल आवेदकों के मामले में योजना बंद होने की अंतिम तिथि से चार माह के अन्दर यदि ड्रा होता है, तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की अंतिम तिथि से चार महीने के अन्दर यदि राशि वापिस हो जाती है तो ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- असफल आवेदकों के मामले में योजना के बंद होने की तिथि से चार माह के अन्दर पंजीकरण राशि वापिस नहीं की जाती है तो पंजीकरण राशि पर योजना बंद होने के बाद, चार महीनों के बाद की अवधि हेतु जिस माह में वापसी की गई है, उसमें पिछले माह की अंतिम तिथि तक 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
उदाहरण:— इस खण्ड के अनुसार 24 अप्रैल को 4 महीने की अवधि समाप्त होने की स्थिति में 1 मई अर्थात् महीने की अंतिम तिथि जिसमें राशि वापिस की गई है, से ब्याज देय होगा।
- आवेदक ड्रा होने के एक महीने बाद यदि अपना पैसा वापिस प्राप्त नहीं करते तो वे उस बैंक की शाखा में सम्पर्क करें जहां उन्होंने आवेदन जमा किया था। दि.वि.प्रा. द्वारा दिए गए पते पर आवेदकों के उपलब्ध न होने या अपूर्ण पता होने के कारण हुई देरी पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा।

10. असफल आवेदकों की आवेदन राशि की वापसी

- दि.वि.प्रा. की दी गयी पंजीकरण राशि संलग्नक 'ब' में दर्शाये गए नोडल बैंक द्वारा जहां आवेदक ने आवेदन जमा किया हो, द्वारा वापिस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी भी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। दि.वि.प्रा. या बैंक, योजना के बन्द होने के एक साल के बाद राशि वापसी, हानि/खण्डन, वापसी, चैक के न भुनाने से संबंधित आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।
- जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। यदि आवेदन संयुक्त नाम में हो, वापसी केवल प्रथम आवेदक के नाम में की जाएगी और इसलिए केवल उसी का बैंक एकाउंट नम्बर दिया जाना चाहिए। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिह्नित होंगे इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण भरने होंगे।
टिप्पणी:—यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्यौरे उपलब्ध कराने होंगे और इन ब्यौरों को धन वापसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत हैं तो बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह उचित होगा कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस कॉलम की पुनः जाँच कर लें।
- आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्दी धनराशि वापस पाने के लिए बैंक के विकल्प पर यदि धनराशि ईसीएस के माध्यम से वापस ली जानी है तो जिस खाते में वे धनराशि जमा कराना चाहते हैं उसका एक रद्द चैक संलग्न करें।
- यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां प्रवेश (कूरियर का) प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापस करने के चैक/माँग पत्र भेजने सहित सभी संचार (पत्र आदि) कूरियर के असफल रहने पर उपलब्ध तरीके से भेजे जाएंगे। ऐसे मामलों में आवेदक को अनुलग्नक बी में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलों में आवेदक/आबंटनी द्वारा पत्र प्राप्त में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए दि.वि.प्रा./बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

11. फ्लैट लौटाना/रद्द होना

- सफल आवेदकों के पास कब्जे का पत्र जारी किये जाने से पूर्व फ्लैटों को लौटाने का विकल्प होगा। निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान के न किये जाने की दशा में फ्लैट स्वतः रद्द हो जाएगा। इस उद्देश्य हेतु कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। दोनों मामलों में, जमा राशि बिना ब्याज के वापिस की जाएगी। हालांकि, निर्धारित रद्द करण प्रभार निम्नानुसार वसूल किया जाएगा :-

8. STATUS OF ALLOTTEE

All allotments shall be made on free hold basis. However, the title shall be transferred only when conveyance deed is executed in favour of the allottee and is registered in the office of Sub-Registrar.

9. INTEREST ON REGISTRATION MONEY

- No interest will be paid if the draw is held within four months from the last date of closure of the scheme in case of successful applicants.
- In case of unsuccessful applicants, no interest will be paid, if the amount is refunded within four months from the last date of the closure of the scheme.
- In case registration money is not refunded within four months from the closure of the scheme, in case of unsuccessful applicants, simple interest @ 5% p.a. will be paid on the registration money for the period beyond four months after the closure of the scheme up to the last date of the preceding month in which refund has been made.
Illustration: In case four month's period expires on 24th April, interest as per this clause would be due from 1st May i.e. after the last date of the month in which refund has been made.
- Applicants not getting refund within one month from holding the draw are advised to contact the nodal branch of the bank in which application was deposited. DDA will not pay any interest in case of postal delay or applicant not available at given address or in case of incomplete address.

10. REFUND TO UNSUCCESSFUL APPLICANTS

- DDA will refund the registration money through the nodal branch, as indicated in Annexure 'B', of the Bank wherein the allottee had deposited the application form. The concerned Bank shall be responsible for the dispatch of refund cheques to the unsuccessful applicants. The bank shall bear the responsibility for any loss on this account. DDA or the bank will not entertain any application for refund, loss/mutilation, and non-encashment of refund cheque one year after the closure of the scheme.
- For getting refund, the applicant has to clearly mention his/her bank account number. In case the application is in joint name, refund will be made in the name of the first applicant only and, therefore, only his/her bank account number should be given. This account number and bank particulars will be printed on cheque, hence applicant should carefully fill these particulars in the Form.
Note: In case the application money has been paid from the account of the firm/company etc. of the applicant, still for the purpose of refund, the applicant's banking details have to be provided as the same would be printed on refund cheque and in case of mismatch of account number and payee's name, the bank would not clear the instrument. In order to avoid situation, it would be appropriate to recheck this column before submitting the application.
- Applicant is advised to enclose one cancelled cheque of the account in which he wants refund money to be credited, in case refund is given through ECS, at the option of the bank, for faster refund.
- In case applicant has given address of a place/office, where entry (of courier) is restricted, all communication including dispatch of refund cheque/demand letter would on failure of courier be through available mode. Applicant is advised to contact nodal officer of the bank as given in Annexure B in such cases. DDA/Banks in such cases would not be responsible for delay/ non receipt of communication by applicant/allottee.

11. SURRENDER/CANCELLATION

- The successful applicants shall have the options to surrender the flats before the issue of the possession letter. Flat will be automatically cancelled in case payments are not made within the prescribed period. No show cause notice shall be issued for the purpose. In both the cases, amount deposited is refundable without any interest. However, cancellation charges as prescribed below shall be recovered:

	माँग पत्र की तिथि निम्नलिखित दिनों के अंदर वापस लौटाना/ रदद करना	यदि ऐसा हो	
		जनता/एक कमरे के लिए	अन्य
		₹	₹
1.	माँग पत्र जारी होने से पहले	शून्य	शून्य
2.	प्रथम दिन से 29 वें दिन तक	1000/-	1000/-
3.	30 वें दिन से 59वे दिन तक	2000/-	5000/-
4.	60 वें दिन से 89 वें दिन तक	7000/-	20000/-
5.	90 वें दिन से 119 वें दिन तक	14000/-	40000/-
6.	120 वें दिन से 149 वें दिन तक	21000/-	60000/-
7.	150 वें दिन से 179 वें दिन तक	28000/-	80000/-
8.	180 वें दिन के बाद अर्थात् स्वतः रदद होने के बाद	35000/-	100000/-

- II. फ्लैट लौटाने/रदद करवाने के मामले में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हैं।
- क. आवंटित फ्लैट के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किया गया मूल आवंटन एवं माँग-पत्र।
- ख. आवेदन-पत्र में दिए गए पते में परिवर्तन होने की दशा में आवास का प्रमाण।
- ग. आवेदन-पत्र में दिए गए बैंक विवरणों में परिवर्तन होने की दशा में पास बुक अथवा बैंक मैनेजर/प्रभारी के प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी।
- घ. नोट : फ्लैट के स्वयं रदद होने की स्थिति में जैसा कि उक्त में दिया गया है, राशि की वापसी रदद करने के प्रभार की कटौती के बाद की जाएगी और जमा की गई राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, जैसा ऊपर बताया गया है।

12. फ्लैटों की अनुमानित लागत

- क. फ्लैटों की अनुमानित निपटान लागत संलग्नक 'अ' में दी गयी है, यदि फ्लैट दक्षिण दिल्ली / मोतिया खान में हैं तो उपरोक्त लागत में भूमि प्रीमियम, निर्माण व्यय तथा 20 प्रतिशत सरचार्ज शामिल है। फर्निशिंग एवं फिटिंग्स की लागत (जहाँ कहीं लागू हो) और एक कालिक रखरखाव प्रभार (जहाँ कहीं लागू हो)। निर्माण व्यय में, विभागीय व्यय तथा निर्माणावधि तक का ब्याज शामिल है भूमि प्रीमियम हर वर्ष एक अप्रैल को जबकि निर्माण व्यय वर्ष में दो बार एक अक्टूबर तथा एक अप्रैल को संशोधित किया जाता है। लागत में भिन्नता श्रेणी के भीतर फ्लैटों के सर्वत क्षेत्र में भिन्नता के कारण है। कुछ अन्य फ्लैटों को जोड़ा अथवा कम किया जा सकता है। (दिल्ली विकास प्राधिकरण के विवेकाधीन) यदि क्षेत्र में बदलाव होता है, तो नवीन जोड़े गये फ्लैटों की लागत तदनुसार बदलेगी।

बसंत कुंज और अन्य स्थानों पर स्थित फर्निशड अपार्टमेंट्स की लागत में फर्निशिंग, फिटिंग्स, विद्युत उपकरणों और अपार्टमेंट में उपलब्ध अन्य मदों की लागत शामिल है। इन मदों का अंतिम बिल बनने के कारण वास्तविक लागत में परिवर्तन हो सकता है, इसलिए इस कारण निपटान लागत अलग-अलग हो सकती है।

नई आवासीय पॉकेटों के लिए, दि.वि.प्रा. नीचे दी गयी तालिका के अनुसार 30 वर्षों के लिए संयुक्त क्षेत्रों के रखरखाव की व्यवस्था करेगा:-

क्र.सं.	मद	अवधि
1.	ग्रिट वॉश	10 वर्षों में एक बार
2.	सीढ़ियों की दीवार (पलस्तर + सफेदी)	
(क)	सफेदी	3 वर्ष में एक बार
(ख)	पलस्तर	3 वर्ष में एक बार
3.	रेलिंग (सीढ़ियाँ एवं संयुक्त क्षेत्र)	3 वर्ष में एक बार
4.	फर्श (सीढ़ियाँ एवं संयुक्त क्षेत्र)	5 वर्ष में एक बार
5.	मडफसका (छत +ममटौ)	2 वर्ष में एक बार
6.	सेनेट्री लाइन्स (नालियाँ +सीवरेज)	
i	100 एम एम	3 वर्ष में एक बार
ii	75 एम एम	3 वर्ष में एक बार
7.	खिड़की के छज्जों की मरम्मत	10 वर्ष में एक बार
8.	बॉलकोनियों की मरम्मत	10 वर्ष में एक बार

S. No.	Surrender/ Cancellation within following days From the date of demand letter	In case of	
		Janta/ ORT	Others
		₹	₹
1.	Before issue of demand letter	NIL	NIL
2.	1 st day upto 29 th day	1000/-	1000/-
3.	30 th day to 59 th day	2000/-	5000/-
4.	60 th day to 89 th day	7000/-	20000/-
5.	90 th day to 119 th day	14000/-	40000/-
6.	120 th day to 149 th day	21000/-	60000/-
7.	150 th day to 179 th day	28000/-	80000/-
8.	180 th day onwards i.e. date of automatic cancellation	35000/-	100000/-

- II. Following documents are to be submitted for refund in case of Surrender/Cancellation:
- Original allotment-cum-demand letter issued by DDA in respect of allotted flat.
 - Proof of residence in case there is change of address as given in the application form.
 - Photocopy of passbook or bank manager's/ in charge certificate in case there is change in bank particulars from as given in the application form.
- Note:** In case flat is cancelled automatically as stated above, Refund will be made after deduction of cancellation charges as stated above and no interest would be paid on amount deposited.

12. DISPOSAL COST OF THE FLATS

- a) The tentative disposal cost of the flats is given at annexure 'A'. The above cost includes land premium, cost of construction and 20% surcharge on "land premium and cost of construction" in case of flats situated in South Delhi/ Motia Khan. **Cost of furnishings and fittings in case of flats at Vasant Kunj and one time maintenance charges in case of newly constructed flats.** Cost of construction includes departmental charges and interest during construction period. The land premium is normally revised every year on first April while cost of construction is revised twice during the year on every 1st October and 1st April. The variation in cost within category is due to variation in plinth area of the flats. There may be some more flats added or deleted (at the discretion of DDA). If the area changes, the cost of newly added flats will change accordingly. For furnished apartments situated at Vasant Kunj, the cost includes cost of furnishing, fittings, electrical installations and other items provided with the apartment. The final cost may increase/ decrease due to final billing of these items; therefore, the disposal cost may change on such account. **For the new housing pockets, DDA would provide maintenance of common areas for 30 years as per schedule tabulated below:**

S. No.	Items	Periodicity
1.	Grit Wash	Once in 10 years
2.	Stair Well (Plaster +White wash)	
(a)	White Wash	Once in 3 years
(b)	Plaster	Once in 3 years
3.	Railings (St. Case & Common Landings)	Once in 3 years
4.	Floorings (St. Case & Common Landings)	Once in 5 years
5.	Mudphaska (Roof +Mumty)	Once in 2 years
6.	Sanitary Lines (Drainage + Sewerage)	
i.	100 MM	Once in 3 years
ii.	75 MM	Once in 3 years
7.	Repair of Window Chhajjas	Once in 10 years
8.	Repair of Balconies	Once in 10 years

इससे संबंधित लागत कमशः बिना लिफ्ट के/लिफ्ट वाले फ्लैटों के मामले में निर्माण की लागत के कमशः 12 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की दर से एक कालिक रखरखाव-लागत के रूप में जोड़ दी गई है।

ख. अनुबंध - 'क' के क्रम संख्या 1,2,3,7,8 एवं 19 पर दिये गए फ्लैट समापन के अंतिम चरण में हैं, उल्लिखित अनंतिम लागत और कुर्सी-क्षेत्रफल अनुमानित आधार पर हैं, निपटान-लागत और कुर्सी क्षेत्रफल को समापन के समुचित स्तर पर अंतिम रूप दिया जाएगा तथा मांग-राशि की मांग तदनुसार की जाएगी।

ग. उपर्युक्त के अतिरिक्त, आवंटी को फ्री होल्ड प्रभार देने की जिम्मेदारी है। वर्तमान अस्थायी फ्री होल्ड प्रभार संलग्नक 'अ' में दिए गए हैं। यदि दरें आगे संशोधित होती हैं तो लागू दरों को आवंटी द्वारा देना होगा।

13. भुगतान का तरीका

फ्लैटों का आवंटन केवल नकद खरीद आधार पर होगा।

14. भुगतान की अवधि

आवंटी को मांग-पत्र जारी किये जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर बिना ब्याज के भुगतान करना होगा। उसके बाद आवंटी को यह राशि 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से 31 मार्च को संगणित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज सहित अगले 90 दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। यदि भुगतान मांग-पत्र की तिथि से 180 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता, तो फ्लैट्स का आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई 'कारण बताओ नोटिस' नहीं दिया जाएगा। इस योजना में ऑटोमैटिक निरस्तीकरण के बाद भुगतान के लिए समय में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक बार भुगतान न करने पर फ्लैट रद्द हो जाता है तो उसके बाद कोई भी रेस्टोरेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवंटी अगर मांगी गयी रकम की अदायगी 180 दिनों अर्थात् ऑटोमैटिक रद्दकरण की सीमा में जमा की गई राशि बिना किसी ब्याज के निरस्तीकरण व्ययों की कमी करके वापिस कर दी जाएगी, जैसा पैरा 11.1 में उल्लेख किया गया है।

टिप्पणी : सभी आबंटियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सचेत किया जाता है कि ब्याज सहित पूरी राशि, यदि कोई है, ऑटोमैटिक रद्दकरण की तिथि से पहले जमा कर दी जाए।

15. आवंटन के बाद आरम्भिक मांग राशि का तरीका

भुगतान "डीडीए हाउसिंग" के पक्ष में दिल्ली/नई दिल्ली में देय किसी भी बैंक के बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करना होगा। चैक द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भुगतान आबंटित के खाते से होना चाहिए और कब्जा लेने के समय पास बुक/बैंक स्टेटमेंट की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मांग एवं आबंटन पत्र की एक प्रति संबंधित आयुक्त, आयकर विभाग को भेजी जायेगी।

डिमांड ड्राफ्ट आवंटन के क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित बैंकों में प्रस्तुत करना होगा :

क्र. सं.	क्षेत्र	बैंक का नाम	शाखा	सम्पर्क करें
1.	रोहिणी और दक्षिण दिल्ली	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	के. जी. मार्ग, रोहिणी, सेक्टर-9	प्रभार अधिकारी फोन: 011-9899087069, 9899087092
2.	अन्य क्षेत्र	एक्सिस बैंक लिमिटेड	दिल्ली/नई दिल्ली की सभी शाखाएँ	श्री गौरव टण्डन फोन : 011-24531284

16. बंधक रखने/ऋण लेने की सुविधा

आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति लिए बिना मकान को निम्नलिखित संस्थाओं के पास बंधक रखकर आवास ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकता है। हालांकि, जिस संस्था के पास फ्लैट बंधक रखा गया है, उसके संबंध में जानकारी सम्बंधित उप निदेशक (आवास) दि.वि.प्रा. को अवश्य भेजी जानी चाहिए।

i. भारत सरकार; ii. राज्य सरकार; iii. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन; iv. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्तशासी निकाय; v. राष्ट्रीयकृत बैंक; vi. भारतीय जीवन बीमा निगम; vii. भारतीय साधारण बीमा निगम; viii. आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.); ix. सहकारी बैंक; x. दिल्ली नगर निगम; xi. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद; xii संयुक्त क्षेत्र की सभी कम्पनियां भले ही शेरार धारिता की प्रतिशतता कितनी भी हो। xiii दिल्ली विश्वविद्यालय; xiv सभी निजी अथवा सार्वजनिक संगठन जिन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा बंधक रखने हेतु अनुमोदन प्राप्त हो एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त

The cost of this account has been added as one time maintenance cost @ 12% and @ 15% of construction cost in case of flats without lifts/ with lifts respectively.

b) Flats at S. No(s).1,2,3,7,8 and 19 of Annexure-'A' are at advance stage of competition, tentative cost and plinth areas mentioned are on approximate basis, the disposal cost and plinth area would be finalized at appropriate stage of completion and thus demand would be raised accordingly.

c) In addition to above, allottee is liable to pay Free hold charges. Applicable provisional, freehold charges are given in annexure 'A', if these rates are revised, difference will be claimed from the allottee.

13. MODE OF PAYMENT

The allotment of flats shall be made on Cash Down basis only.

14. PERIOD FOR PAYMENT

Allottee is liable to make the payment within 90 days from the date of issue of demand letter without interest. Thereafter, the allottee is liable to deposit the amount in not more than next 90 days along with interest @15% p.a. compounded as on 31st March. If the payment is not made within 180 days, including interest, from the date of demand letter, allotment of the flat will be automatically cancelled. No show cause notice/intimation will be given by the DDA for cancellation. No time extension for payment beyond the date of automatic cancellation would be given in this scheme. Also no restoration is allowed once the flat is automatically cancelled due to non payment. If the allottee fails to deposit the demanded amount within 180 days i.e. date of automatic cancellation, the amount deposited will be refunded without interest and after deduction of cancellation charges as mentioned in para 11(i).

Note: All allottees are cautioned to ensure that full amount including interest, if any, is deposited before date of automatic cancellation.

15. METHOD OF PAYMENT OF DEMANDED AMOUNT

The payment of amount will have to be made by a Banker's Cheque/Demand Draft of any bank drawn in favour of "DDA Housing" payable at Delhi/New Delhi. Payment by cheque will not be accepted. Payment has to be made from allottee's account and at the time of possession, copy of passbook/bank statement has to be furnished. A copy of the demand-cum-allotment letter will be sent to the concerned Commissioner, Income Tax Department.

This Banker's Cheque/Demand Draft has to be presented at the following banks depending on the area of the allotment

S. No.	Area	Name of the bank	Branches	Contact persons
1	Rohini and South Delhi	HDFC Bank Ltd.	KG Marg & Rohini Sector-9 New Delhi	The officer in-charge Ph.:011-9899087069, 9899087092
2	Other areas	Axis Bank Ltd.	All Branches in Delhi, New Delhi	Sh. Gaurav Tandan Ph.: 011-24531284

16. MORTGAGE/AVAILING LOAN

The allottee can avail housing loan by mortgaging the house to following institutions without prior approval of the DDA. However, an intimation regarding institution to which it has been mortgaged must be sent to concerned Dy. Director (Housing), DDA.

i. Government of India; ii. State Governments; iii. Union Territory Administration; iv. Public Sector Undertakings/Autonomous bodies; v. Nationalized banks; vi. Life Insurance Corporation of India; vii. General Insurance Corporation of India; viii. Housing Development Finance Corporation; ix. Cooperative banks; x. MCD; xi. NDMC; xii. All Joint Sector companies, irrespective of

कम्पनी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। **xv** भवन निर्माण के लिए व्यक्तियों को ऋण देने वाली समस्त वित्तीय संस्थाएं, यदि वे पांच करोड़ रु. अथवा समान पूंजीगत आधार सहित अच्छी बाजार साख और प्रतिष्ठा वाली प्रमुख कम्पनियां हों। **xvi** समस्त वित्तीय संस्थाएं/बैंक जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक या भारत सरकार द्वारा नियमित किया जाता हो भले ही सरकार की अंशधारिता कितनी भी हो। **xvii** समस्त सार्वजनिक कम्पनियां जिनका पूंजीगत आधार 5 करोड़ रुपये हो, बशर्ते कि उनके यहां अपने कर्मचारियों को भवन निर्माण भत्ता प्रदान करने की योजना हो और ऐसी अग्रिम राशि प्रदान करने के लिए बंधक रखना अपेक्षित हो, उदाहरण के लिए हडको।

17. फ्लैटों का कब्जा

- दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबंध एवं निपटान) विनियम 1968 के अनुसार आवंटी कब्जा लेने का हकदार केवल तभी होगा/होगी, जब कि उसने मांग व आवंटन पत्र के अनुसार सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी हों, सभी देय राशियों का भुगतान कर दिया हो में तथा अपेक्षित सभी दस्तावेज प्रस्तुत/निष्पादित कर दिये हों।
- यदि आवंटी कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से 3 माह के अन्दर फ्लैट का कब्जा नहीं लेता है, तो उसे कब्जा-पत्र जारी होने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित दर पर निगरानी एवं देखभाल प्रभारों का भुगतान करना होगा। वर्तमान में निगरानी एवं देखभाल प्रभार तीन शयन कक्ष फ्लैट्स हेतु ₹ 1250/- प्रतिमाह, दो शयन कक्ष फ्लैट्स एवं विस्तार होने योग्य आवासों हेतु ₹ 1000/- तथा एक शयन कक्ष फ्लैट्स हेतु ₹ 750/- और जनता/एक कमरे का मकान हेतु ₹ 500/- प्रतिमाह है।
- यदि वास्तविक कब्जा नहीं लिया जाता है तो आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। रद्दकरण से पहले कोई 'कारण बताओ' नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। तदपि, असाधारण मामलों में वास्तविक कब्जा 12 महीनों से 24 महीनों तक उक्तलिखित प्रभार के अतिरिक्त निर्धारित रेस्टोरेशन/रद्दकरण प्रभार की अदायगी पर दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए दि.वि.प्रा. की पहले अनुमति लेनी होगी। फ्लैट की लागत हेतु जमा की गई राशि पैन्ल्टी काट कर रद्दकरण के मामले में देय होगी।
- सम्पत्ति "जहां है जैसा है" के आधार पर दी जा रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण उपर्युक्त संदर्भित विनियम के पैरा 19 में परिभाषित को छोड़कर किसी प्रकार के परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अनुरोध अथवा किसी प्रकार की शिकायत, चाहे वह सम्पत्ति की परिस्थितियों के सम्बन्ध में हो, अथवा फ्लैट की लागत, उसके डिजाइन, प्रयोग में लाई गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी या अन्य किसी दोष से संबंधित हो, को स्वीकार नहीं करेगा।

टिप्पणी : दस्तावेजों को विलंब से जमा करने का विनियमन अनिवार्य प्रभार पर किया जाएगा जैसा कि दस्तावेजों के विलंब से जमा करने के लिए निर्दिष्ट है। परन्तु भुगतान करने के लिए किसी भी परिस्थिति में कोई विस्तार नहीं किया जाएगा।

18. हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन

मांग-पत्र के साथ डीडीए द्वारा हस्तांतरण डीड (फ्री-होल्ड डीड) कागजात जारी किए जाएंगे। कब्जा पत्र के जारी करने से पहले कलैक्टर ऑफ स्टाम्प, दिल्ली सरकार से स्तम्पित कराने के पश्चात् डीडीए के पास जमा करा दें। स्टैम्प ड्यूटी और अन्य खर्च आवंटी को अदा करने होंगे। आवंटी हस्तांतरण अधिपत्र का निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से, हस्तांतरित नहीं कर सकते। यदि प्राधिकरण की लिखित में पूर्व अनुमति लिए बिना ही विक्रय/हस्तांतरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार का विक्रय/हस्तांतरण प्राधिकरण द्वारा मान्य नहीं होगा और प्राधिकरण आवंटन रद्द करने और फ्लैट का पुनः कब्जा लेने का हकदार होगा।

19. दुरुपयोग, परिवर्धन और परिवर्तन आदि

फ्लैट का उपयोग केवल आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाएगा और इसका उपयोग अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जा सकता। आवंटी दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति लिए बिना आवासीय इकाई को उप-विभाजित करने अथवा इस इकाई को किसी अन्य आवासीय इकाई के साथ मिलाने अथवा फ्लैट के ढांचे में कोई परिवर्धन/परिवर्तन करने का हकदार नहीं होगा।

20. सामूहिक भाग और सामूहिक सेवाओं आदि के रखरखाव का उत्तरदायित्व

प्रत्येक सफल आवेदक को फ्लैट का कब्जा सौंपे जाने से पहले विधि के प्रावधान के अनुसार एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स का सदस्य

the percentage of share holding; **xiii.** University of Delhi; **xiv.** All organizations, private or public, which receive the approval of Govt. of India, State Govt. for the purpose of general mortgage permission and are recognized by RBI as a Housing Finance Company; **xv.** All Financial Institutions extending loans to individuals for house building, if they are leading companies with good market standing and repute say with a capital base of `5 crores or so. **xvi.** All Financial Institutions/Banks which are controlled by RBI or the Govt. of India irrespective of the percentage of Govt. share holding. **xvii.** All public companies with a capital base of `5 crores provided they have a scheme for granting HBA to their employees and the mortgage is required for grant of such advances e.g. HUDCO.

17. POSSESSION OF FLATS

- The allottees shall be entitled to take delivery of possession only after he/she has completed all the formalities, paid all dues and furnished/executed all the documents as required in the demand cum allotment letter under the provisions of Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.
- If the allottee does not take possession of the flat within 3 months from the date of issue of possession letter, he/she shall be liable to pay watch and ward charges at the prescribed rates beyond a period of 3 months from the date of issue of possession letter up to a maximum period of one year from the date of issue of possession letter. At present watch & ward charges are ₹1250/- per month for three bed room flats, ₹1000/- per month for two bed room flats & expendable houses, ₹750/- for one bed room flats and ₹500/- for Janta /ORT flats.
- If the physical possession is still not taken over then the allotment shall be automatically cancelled. No show cause notice shall be served before cancellation. However, in exceptional cases the physical possession can be given beyond 12 months and up to 24 months on payment of said charges in addition to prescribed restoration/ cancellation charges provided prior permission of DDA is obtained. Any amount deposited towards the cost of the flat shall be refundable without interest in such a case of cancellation after deduction of penalties.
- The property is being offered on "as is where is basis". The DDA will not entertain any request for additions or alterations or any complaints, whatsoever regarding Property Circumstances except as defined in para 19 of the Regulation referred to above or about cost of flats, its design, the quality of material used, workmanship or any other defect.

Note:

Late submission of documents shall be regularized on necessary charges as prescribed for delay in submission of documents. But no extension for making the payment will be allowed in any circumstances.

18. EXECUTION OF CONVEYANCE DEED

Conveyance deed (Free Hold Deed) paper will be issued by the DDA along with the demand cum allotment letter. These are required to be stamped from the Collector of stamps, Govt. of NCT of Delhi and submitted to DDA before the possession letter is issued. Stamp duty and other expenses in this regard shall be borne by the allottees. Allottee shall not be entitled to transfer or otherwise part with the possession of the whole or any part of the flat without execution of conveyance deed. Provided that in the event of sale/transfer being made without execution of conveyance deed, such sale/transfer shall not be recognized by the Authority and it shall be open to the Authority to cancel the allotment and resume the flat.

19. MISUSE, ADDITIONS AND ALTERATIONS, ETC.

The flat shall be used only for residential purpose and cannot be put to other use. The allottee shall not be entitled to sub divide the dwelling unit or amalgamate it with any other dwelling unit or to make any structural additions/alterations.

20. RESPONSIBILITY FOR THE MAINTENANCE OF COMMON PORTIONS AND COMMON SERVICES ETC.

Every successful applicant is required to become a member of the Registered Agency/Association of Apartment Owners to

बनना अपेक्षित है। ये संस्थायें इन आवासीय पॉकेटों में सामूहिक भागों और सामूहिक सेवाओं के रखरखाव के उद्देश्य से बनायी जाएंगी।

21. मिथ्या-कथन अथवा तथ्यों को छिपाना

यदि यह पाया गया कि आवेदक को इस विवरणिका के पैरा 2 में बताई गई शर्तों के अनुसार पात्रता नहीं है या गलत दस्तावेजों के आधार पर आरक्षण का दावा किया है या एक से अधिक आवेदन जमा किए हैं, जैसा पैरा 2 (iv,v,& vi) में दिया गया है अथवा गलत पैर बताने के साथ झूठा शपथपत्र/ सूचना दी है अथवा आवेदन के या हस्तांतरण डीड के निष्पादन के समय या कब्जा लेते समय किसी बात को दबाया-छुपाया है तो इसके लिए बिना किसी कारण बताओ नोटिस के आवेदन/आबंटन स्वतः रद्द/निरस्त हो जाएगा। ऐसे रद्दकरण/निरस्तीकरण के मामले में आवेदन/आबंटन के लिए जमा की गई पूरी पंजीकरण/धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।

22. अधिमानी आबंटन

- प्लैट के आबंटन में 1 प्रतिशत आरक्षण निःशक्त व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, जैसा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 2 में परिभाषित है।
- निःशक्त व्यक्तियों को भूतल पर आबंटन किए जाएंगे।
- निःशक्त व्यक्तियों को किराया खरीद के आधार पर आबंटन किया जाएगा। किराया खरीद आबंटन के मामले में आरंभिक भुगतान सामान्य श्रेणी पर लागू कुल लागत के 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत होगा। शेष राशि मासिक किस्तों में ली जाएगी।
- लागत में 5 प्रतिशत की रियायत अधिकतम ₹1.00 लाख की सीमा तक निःशक्त व्यक्तियों को दी जाएगी, जिन्हें उपरोक्त कोट के तहत आबंटन किया गया है। आबंटन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। हस्तांतरण विलेख के कागज केवल मूल आबंटि के नाम पर निष्पादित किए जाएंगे।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि रियायती प्रावधान केवल निःशक्त व्यक्तियों के लिए बनाए गए हैं, इनका दुरुपयोग या अंदाजा न लगाया जाए, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्लैटों के आबंटन पत्र में विशिष्ट रूप से यह बताया जाएगा कि आबंटि द्वारा कब्जा लेने के 15 वर्ष पहले तक प्लैट के स्वामित्व अधिकार के अन्य संक्रामण से प्लैट को स्वतः रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में रद्द करने की प्रक्रिया वापस नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त उक्त सभी मामलों के लिए हस्तांतरण विलेख में निम्नलिखित विशिष्ट शर्तें भी शामिल होंगी जो आबंटन पत्र में बताई जाएंगी और आबंटि द्वारा प्लैट का कब्जा लेने से पहले इसके विशिष्ट रूप से हस्तांतरण विलेख का भाग होने की सहमति देते हुए एक शपथ पत्र दिया जाए।

प्रस्तावित धारा निम्नानुसार होगी

“कि आबंटि/क्रेता विशिष्ट रूप से इस पर सहमत हो कि वह कब्जा पाने की वास्तविक तिथि से 15 वर्ष समाप्त होने के पहले किसी समय पर पूरे प्लैट अथवा इसके किसी हिस्से के स्वामित्व का विभाजन विक्रेता द्वारा आबंटि/क्रेता को नहीं करेगा और उस सीमित सीमा तक संपत्ति का शीर्षक विक्रेता के पास रहना जारी रहेगा। इस पर पुनः विशिष्ट रूप से सहमति दी जाती है कि यदि आबंटि/क्रेता वर्तमान हस्तांतरण विलेख की शर्तों का उल्लंघन करता है तो सम्पूर्ण हस्तांतरण विलेख को शून्य माना जाएगा और आकस्मिकता की स्थिति में विक्रेता को आबंटि/क्रेता से हस्तांतरित संपत्ति का कब्जा वापस पाने की पात्रता होगी।

यदि आबंटि/क्रेता की मौत 15 वर्ष की बताई गई अवधि समाप्त होने के पहले हो जाती है तो उसके कानूनी प्रतिनिधि और वारिस उपरोक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे, परन्तु उन्हें कथित प्लैट पर कब्जा लेने की पात्रता होगी।

- रियायत उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 में परिभाषित निःशक्तता के अर्थ में आते हैं और एक चिकित्सा बोर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।
- “इस खण्ड के अंतर्गत अनुमेय लाभ केवल उन आवेदकों को दिये जायेंगे जिनको 1 प्रतिशत आरक्षित कोट के अंतर्गत प्लैट आबंटित किए जा चुके हैं। यदि प्लैट सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आबंटित किए जाते

be formed for the purpose of maintenance of common portions and common services for these housing pockets, in accordance with the provision of the law in this behalf before the possession of the flat is handed over to him/her. However, in case of new constructed housing pockets DDA would provide maintenance of common areas for 30 years as per schedule tabulated at para 12 (a) above.

21. MIS-REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS

If it is found that the applicant has applied although he was not eligible as per conditions laid down in para 2 of this brochure or has claimed benefit of reservation on the basis of wrong documents or has submitted more than one application as given in para 2 (IV, V & VI) or has given false affidavit/ information including quoting wrong PAN number or suppressed any material fact whether at the time of application or at the time of taking over possession or at the time of execution of conveyance deed, the application(s)/allotment(s) will be rejected/cancelled summarily without issuing any show cause notice for the same. In case of such cancellation/rejection, amount of registration/earnest money deposited against application(s) shall be forfeited.

22. PREFERENTIAL ALLOTMENT

- 1% reservation in allotment of flats will be provided to the persons with disability as defined in Section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
- Allotment of flats to persons with disability will be made at Ground Floor.
- The allotment of DDA flats to persons with disability would be on hire purchase basis. The initial payment in case of hire purchase allotment would be 25% instead of 50% of the total cost applicable for general category. Rest of the amount would be taken in monthly installments over a period upto 15 years.
- 5% rebate in the cost subject to a maximum of ₹1.00 lakh will be given to the persons with disability, who are allotted flats under the above quota. The remaining conditions of allotment will remain the same. The conveyance deed papers will be executed in the name of original allottees only.
- In order to ensure that the concessional provisions meant for the persons with disability do not lead to misuse or speculation, it has also been decided that the letter of allotment of such flats would specifically state that alienation of possession of the flat prior to 15 years from the delivery of possession to the allottee would result in automatic cancellation of the flat and under no circumstances such cancellation would be withdrawn. In addition, the conveyance deed for all such cases would also include the following specific clause which would be included in the letter of allotment itself and the allottee should by way of affidavit specifically agree to the same being a part of the conveyance deed before the possession of the flat is delivered to the allottee.
THE PROPOSED CLAUSE WOULD BE AS FOLLOWS
“That the allottee/vendee specifically agrees that he shall not part with possession of the whole or any part of the flat at any time prior to the expiry of 15 years from the date of actual delivery of possession thereof by the Vendor to the allottee/vendee and to that limited extent, the title in the property shall be deemed to continue to vest in the vendor. It is further specifically agreed that in case the allottee/ vendee violates terms of the present conveyance deed, the entire conveyance deed shall be deemed to be void and in that eventuality, the vendor shall be entitled to take back possession of the demised property from the allottee/ vendee”.
In case the allottee/vendee dies prior to the expiry of the stated period of 15 years, his/her legal representatives and heirs shall be bound to honour the stated condition, but shall be entitled to occupy the said flat.
- The concession shall be applicable to persons who come within the meaning of disability as defined in the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 and duly certified by a Medical Board.
- The permissible benefit under this clause will be given only to those applicants who have been**

हैं तो उनको उक्त लाभ किसी भी मामले या किसी भी तरीके से चाहे जो भी हो, नहीं दिया जाएगा और न तो इन लाभों के लिए दावा करेंगे और न ही दि.वि.प्रा. इस संबंध में किसी अनुरोध पर विचार करेगा।”

23. अन्य सामान्य शर्तें

- क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को, जब कभी वह आवश्यक समझे, अपने विवेक से योजना के किसी निबंधन एवं शर्त/खण्ड में परिवर्तन करने का अधिकार है।
- ख) दि.वि.प्रा. को योजना में प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार होगा। दि.वि.प्रा. को परिस्थितियों के अनुसार कुछ फ्लैटों/सभी फ्लैटों को वापस लेने का अधिकार होगा।
- ग) इस योजना के अंतर्गत आवंटन इस ब्रोशर, मांग एवं आबंटन पत्र और दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 के निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत होगा।
- घ) दि.वि.प्रा. (आवासीय सम्पदा का प्रबंध एवं निपटान) विनियम, 1968 की विनियम सं. 17 में निहित प्रावधान के अनुसार सभी दरें, शुल्क, टैक्स प्रभार, म्युनिसिपल कर का निर्धारण अथवा अन्य और अन्य प्रकार की लेवी, जो भी हो, आवंटी अथवा पंजीकृत एजेन्सी/अपार्टमेंट स्वामी को एसोसिएशन, जैसा भी मामला हो, को वहन करने होंगे और आवंटी अथवा पंजीकृत एजेन्सी की अपार्टमेंट स्वामी की एसोसिएशन द्वारा देय होगा।
- ङ) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में मामले का निपटारा केवल दिल्ली न्यायालयों में ही होगा।
- च) दि.वि.प्रा. के साथ आवंटन संबंध में सभी पत्राचार में, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वे अपने पत्र में आवेदन पत्र सं. और फाइल सं. आदि लिखें और ऐसे पत्र संबंधित उप-निदेशक (आवास), दि.वि.प्रा., डी-ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को संबोधित करें।
- छ) यदि कोई शिकायत है तो आवेदक सार्वजनिक सुनवाई के दिन निदेशक (आवास)-I / II आयुक्त (आवास) अथवा उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. से संपर्क कर सकते हैं। तथापि, वित्तीय मामलों के संबंध में आवेदक को सलाह दी जाती है कि पहले वह वित्त सलाहकार (आवास) डी-ब्लॉक, प्रथम तल, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 से संपर्क करें।
- ज) फार्म स्वीकार करते समय आवेदक की पात्रता की जांच करना संभव नहीं है। अतः जो व्यक्ति पात्र नहीं हैं, वे अपने जोखिम पर पंजीकरण करवाएंगे। यदि बाद में पता चलता है कि योजना के अंतर्गत वे पात्र नहीं हैं तो वे फ्लैट आवंटन के हकदार नहीं होंगे।
- झ) आवेदक को अपना स्थायी खाता संख्या/जी.आई.आर. सं. और आई.टी. सर्किल/वार्ड/जिला लिखना चाहिए। इस सूचना के बिना आवेदन पत्र अधूरा समझा जाएगा और इसे रद्द किया जा सकता है।
- य) आबंटिती को अपने भुगतान का स्रोत बताना होगा। इसके लिए बैंक पासबुक की एक प्रति, और बैंक प्रबंधक द्वारा अनुप्रमाणित, ऋण यदि लिया गया है के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
- र) आबंटिती को एक विधिवत अनुप्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके पंजीकरण/उसको आबंटित फ्लैट के संबंध में उसने कोई सामान्य/विशेष मुख्तारनामा (जनरल/स्पेशल पॉवर ऑफ अटॉर्नी) बिक्री करार, बयाना रसीद या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित नहीं किया है।
- व) “आरक्षित श्रेणियों अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से विकलांग/ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों के मामले में आवेदक द्वारा फ्लैट के आबंटन के लिए आवेदनपत्र में दी गई सूचना/दस्तावेज के सत्यापन पर अनंतिम रूप से मांग एवं आबंटन पत्र जारी किए जायेगा। किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा दिये गए दस्तावेज/सूचनाएं, गलत/झूठी/असत्य पायी जाती हैं, तो यह अनंतिम आबंटन बिना किसी सूचना के स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और ऐसे मामलों में आवेदकों के दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।”

allotted the flat under 1% reserved quota. If the flat is allotted under general category, the above benefit will not be extended to them in any case or manner whatsoever and they will neither claim such benefits nor any requests in this regard will be entertained by the DDA”.

23. OTHER GENERAL CONDITIONS

- A. DDA reserves the right to alter any term and condition/ clause of the scheme at its discretion as and when considered necessary.
- B. DDA reserves the right to increase or decrease the number of flats on offer in the scheme. DDA also reserves the right to withdraw some/all flats depending on the circumstances.
- C. The allotment under the scheme shall be on the terms and conditions contained in this brochure, demand cum allotment letter and the DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968.
- D. As per provisions contained in Regulations No. 17 of DDA (Management & Disposal of Housing Estate) Regulations, 1968, all rates, fees, taxes, charges, assessment of municipal or otherwise and other levies of whatsoever nature shall be borne by the allottee or the Registered Agency/Association of Apartment Owners' as the case may be and shall be payable by the allottee or Association of Apartment Owners'/Registered Agency within the period specified in this behalf.
- E. Any dispute shall be subject to the jurisdiction of Delhi Courts only.
- F. In all the correspondence within DDA regarding allotment etc., the applicants are advised to quote their application form no. and the file no. etc. and such correspondence be addressed to Dy. Director concerned, D-Block, Vikas Sadan, DDA, New Delhi-110 023.
- G. In case of any grievance, the applicant can contact Director (H)-I / Director (H)-II, Commissioner (H) or the Vice-Chairman, DDA during their public hearing days. However, on financial issues the applicant is advised to first contact Financial Adviser (Housing), D-Block, 1st floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
- H. It is not possible to check the eligibility of applicant at the time of acceptance of the form. Therefore, those who are not eligible would register their name at their own risk and would not be entitled for allotment of flats if at a later stage it is detected that they are not eligible under the scheme.
- I. The applicant should mention his/her PAN/GIR No. and I.T Circle/Ward/District The application form without this information shall be considered incomplete and is liable to be rejected.
- J. Allottee will be required to intimate the source of payment. For the purpose, he will have to submit a copy of bank pass book, loan documents, if raised, duly attested by the Bank Manager.
- K. Allottee will be required to submit an Affidavit duly attested that he/she has not executed any general/ special power of attorney, agreement to sell, bayanna receipt or any other document in respect of his/her registration/flat allotted to him/her.
- L. **The demand cum allotment letter will be issued in the cases of reserved categories i.e. SC/ ST/Physically Handicapped/War widow/Ex-servicemen provisionally subject to verification of the information/document furnished by the applicant in the application form for allotment of flat. In case, if it is found at any stage that the documents/information furnished by the applicant are incorrect/false/untrue, this provisional allotment shall stand cancelled automatically without any notice and the claim of the applicant in such cases will not be entertained.**

फ्लैटों का विवरण, अनंतिम लागत और स्थान के कोड DETAILS OF FLATS, TENTATIVE COST AND LOCALITY CODES								
क्र. सं. S. No.	स्थान Locality	स्थान कोड Locality Code	फ्लैटों की संख्या No. of Flats	प्लिंथ क्षेत्र की लगभग परास (वर्ग मीटर में) Approx. Range of Plinth Area (in Sqm)	अनुमानित लागत की स्थूल परास (लाख ₹ में) Broad Range of Tentative Disposal Cost (₹/Lakh)	अनंतिम परिवर्तन प्रभार (₹) Provisional Freehold Charges (₹/Lakh)		
ए A. लिफ्ट युक्त सुसज्जित आवास (बसंत कुंज डी-6 में)* Furnished Flats with Lifts (at Vasant Kunj D-6)*								
1	एक बेड रूम One bed room	**	11	1285	54-58	34-37	0.25	
2	दो बेड रूम Two bed room	**	12	548	81-152	51-96	0.52	
3	तीन बेड रूम Three bed room	**	13	876	173-176	110-112	0.62	
बी B. बहुमंजिले तीन बेड रूम वाले फ्लैट्स Multi-Storeyed-THREE BEDROOM FLATS								
4	मुखर्जी नगर Mukherjee Nagar	**	21	336	127-178	58-81	0.47	
5	मोतिया खान Motia Khan	**	22	144	130-131	84-85	0.78	
6	जसोला सैक्टर-9ए Jasola Sector-9A	**	23	320	131-132	74-75	0.62	
7	द्वारका सैक्टर-18बी * Dwarka Sector 18-B *	**	24	947	150-176	71-83	0.62	
8	रोहिणी सैक्टर-29 * Rohini Sec. 29 *	**	25	560	160-175	61-67	0.47	
9	पीतमपुरा Pitampura		26	4	127-150	54-63	0.47	
सी C. दो बेड रूम वाले फ्लैट्स TWO BEDROOM FLATS								
10	कल्याण विहार Kalyan Vihar	**	31	24	80-95	30-36	0.27	
11	बसंत कुंज (एच.आई.जी.) Vasant Kunj (HIG)		32	5	71-87	32-39	0.52	
12	रोहिणी, जहाँगीरपुरी, पीतमपुरा Rohini, Jahangir Puri, Pitampura,		33	18	60-105	21-37	0.27	
13	सराय खलील Sarai Khalil		34	2	78	36-36	0.45	
14	नरेला Narela		35	2	70-110	26-41	0.27	
डी D. एक बेड रूम वाले फ्लैट्स ONE BEDROOM FLATS								
15	बसंत कुंज, द्वारका, लोकनायक पुरम Vasant Kunj, Dwarka, Loknayak Puram		41	323	42-61	13-19	0.25	
16	जाफराबाद Zafraabad		42	2	42-61	13-18	0.07	
17	रोहिणी Rohini		43	57	42-61	13-18	0.19	
18	नरेला Narela		44	213	42-61	10-14	0.19	
19	द्वारका सैक्टर-14 * Dwarka Sec. 14 *	**	45	760	41-42	14-14	0.25	
20	रोहिणी सैक्टर.18, ब्लॉक एफ Rohini Sec. 18, Blk F	**	46	300	46-49	15-16	0.19	
21	रोहिणी सैक्टर. 28, सैक्टर. 29 Rohini Sec. 28, Sec. 29	**	47	4260	42-49	11-13	0.19	
22	जसोला, 10-बी, पॉकेट.12, मोलरबंद Jasola, 10-B, Pkt. 12, Molar Band	**	48	1160	39-58	13-19	0.25	
23	द्वारका सैक्टर-3, पॉकेट, बी एवं सी, सैक्टर. 26 पॉकेट बी. Dwarka Sec. 3, Pkt. B&C, Sec. 26, Pkt. B	**	49	1220	28-29	9-10	0.25	
24	कोंडली घोरोली Kondli Gharoli	**	50	1830	31-32	10-10	0.07	
ई E. विस्तारणीय फ्लैट: टाइप -ए EXPANDABLE-TYPE A								
25	नरेला Narela		51	207	20-37	6-11	0.19	
26	द्वारका, बिंदापुर Dwarka, Bindapur		52	17	20-37	10-19	0.25	
एफ F. विस्तारणीय फ्लैट: टाइप -बी EXPANDABLE-TYPE B								
27	नरेला Narela		61	98	50-80	18-28	0.27	
28	द्वारका, बिंदापुर Dwarka, Bindapur		62	56	50-80	30-48	0.35	
जी G. जनता/एक कमरे का मकान JANTA/ ONE ROOM TENEMENTS FLATS								
29	जसोला, नसीरपुर- द्वारका Jasola, Nasirpur-Dwk	#	71	533	20-25	5-6	-	
30	कोंडली घोरोली, चिल्ला, त्रिलोक पुरी, शिवाजी एन्क्लेव Kondli Gharoli, Chilla, Trilokpuri, Shivaji Enclave	#	72	94	20-25	4-5	-	
31	नरेला Narela	#	73	36	20-25	3-4	-	

टिप्पणी :- **= नव-निर्मित आवासीय पॉकेटों, *= फ्लैट जो समापन के अंतिम चरण में हैं # = पंजीकरण राशि ₹ 50,000/-

Note: **= Newly Constructed Housing Pockets, *= Flats at advance stage of completion, #=Registration amount ₹50,000/-

नोडल बैंक शाखाओं की सूची

(रिफंड की प्राप्ति न होना, डिमांड पत्र की पूछताछ हेतु)

- क) एक्सिस बैंक लिमिटेड, ई-64, ग्रेटर कैलाश-I, नई दिल्ली-48, श्री गौरव टंडन, फोन : 011-24531284
- ख) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एफआईजी-आपरेशन्स, प्रथम तल, कैलाश बिल्डिंग, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-01, प्रभार अधिकारी मो: 9899087069, 9899087092
- ग) आईसीआईसीआई बैंक लि., एस-26-28, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-16, श्री नीतिन सिंघल, फोन: 011-46089175
- घ) आईडीबीआई बैंक, सूर्या किरण बिल्डिंग, भू-तल, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली - 01, श्री मोहित गर्ग, फोन: 011-43561983 मो: 91-9717343063
- ड.) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आईएनए मार्केट, विकास सदन, नई दिल्ली-23, फोन: 011-24654260 मो 9999 917128
- च) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, आईएनए मार्केट, विकास सदन, नई दिल्ली-23, फोन: 011-24658493
- छ) यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, 73-74 शीतला हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19, श्री. एच.एस. पंवार फोन: 011-26412541, 26424013

प्राधिकृत शाखाओं की सूची

(आवेदन पत्रों की बिक्री और प्राप्ति के लिए)

एक्सिस बैंक : शाखा

दिल्ली: सी-3, फेज-1, अशोक विहार ए-17 पंचवटी आदर्श नगर, आजादपुर, के-1998, चितरंजन पार्क, 230बी, 231, 232 एवं 231ए, कोरेफेनन हटल बिल्डिंग, चॉंदनी चौक, 18, नेताजी सुभाष रोड दरियागंज, बी 14/7, डी.बी.गुप्ता रोड, देवनगर, ग्राउंड फ्लोर, 253, दीपाली एन्क्लेव, निजदीक सरस्वती विहार, पीतमपुरा, बी-81, डिफेंस कॉलोनी, ए-63, डेरावाला नगर, ग्रांड फ्लोर एवं बेसमेंट, जी-12(विपरीत जे एंड के ब्लॉक) दिलशाद गार्डन, एलएल आरकाडे सैक्टर-5(एमएलयू), प्लॉट नं 14, द्वारका, डी-70 ए ईस्ट ऑफ कैलाश, 26/5, साहनी हाउस, ईस्ट पटेल नगर, ग्राउंड फ्लोर, प्रथम तल, 662/6, शिवपुरी मेन, पटपड़ाज रोड, गीता कॉलोनी, ई 64, ग्रेटर कैलाश-1, एस-266, ग्रेटर कैलाश-2, जी-04-07, जी-17, जी-18, एफ-03, एफ-04, एफ-08, डी-1, एल्फा कॉमिशियल ब्लैक-1, ग्रेटर नोएडा, के-12 ग्रीन पार्क, प्लॉट नं 17 ग्राउंड फ्लोर एवं बेसमेंट, वर्मान प्लाजा, ओखला फेज-1, डब्ल्यू जेड-24, पालम गाँव, बी-2/14, पश्चिम विहार प्लॉट नं 5 एवं 6, डीपी ब्लॉक, एलएससी, पीतमपुरा, 49, वेस्ट एक्न्यू रोड पंजाबी बाग, ग्राउंड फ्लोर रामा कृष्णा मिशन आरकेआश्रम मार्ग, पहाड़ाज, 78, ओल्ड रोजेन्द्र नगर, ए-11, विशाल एन्क्लेव, नजदीक राजोरी गार्डन, प्लॉट नं 5, विकास सूर्य प्लाजा, कम्यूनिटी सेंटर, डीसी चौक, सैक्टर-9, रोहिणी, डी-14, 15, गीता रतन जिन्दल पब्लिक स्कूल, सैक्टर-7, रोहिणी, 6615-22, बाहादुरगढ़ रोड चौक बाड़ हिन्दूराव, सदर बाजार, ई-146, साकेत, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल, पारस नाथ शाहदरा मट्टे टॉवर, 23/10, शक्ति नगर, ए एम-196, शालीमार बाग, मार्फत शैडले पब्लिक स्कूल प्रैस कॉलोनी जी-8 एरिया विपरीत राजोरी अपार्टमेंट, सी-58, प्रीत विहार, विकास मार्ग, स्वास्थ्य विहार, कृपाल प्लाजा, 4ए/1, तिलक नगर ग्राउंड फ्लोर तथा बेसमेंट, 1796/123, जगन्नाथ मार्ग, त्री नगर, डब्ल्यू जेड-जी-1/262, ब्लॉक जी-1, मेन नजफगढ़ रोड उत्तम नगर, प्लॉट नं 2 ग्राउंड फ्लोर, सैक्टर फॉर सोशियल रिसर्च बिल्डिंग, नेल्सन मंडेला रोड बसंत कुंज, 29 सीसी बसंत लोक कॉम्प्लेक्स, बसंत विहार, जी-12ए विकास पुरी एन आई एफ टी कंप्लेक्स, होजखास, सी-3/21, जनकपुरी, ग्राउंड फ्लोर एवं बेसमेंट, बी-1/503, जनकपुरी, बी-ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर एवं बेसमेंट, प्लॉट नं 51, पॉकेट 1, जसोला, ई-1, झन्डेवाला एक्सटेंशन, एम-61, कालकाजी, आदित्य कारपोरेट प्लाजा, विपरीत दयानंद विहार मेन गेट, कमन्यूटी सेंटर कडकडूसा, 6/83, पदमसिंह रोड डब्ल्यूईए, करोल बाग, ग्राउंड फ्लोर, 3/3432-3435, हसन बिल्डिंग, निकोल्सन रोड कश्मीरी गेट, 2 ए एवं बी, खान मार्केट, एफ-43, कीर्ति नगर एफ-2/25, कृष्णा नगर, बी-6, लाजपत नगर-2, राविसन हाउस, 1 सिंग रोड लाजपत नगर-4, बी-163, लोक विहार, डी-81, मालवीय नगर, सी-56, मानसरोवर गार्डन, 22 एलएससी कॉमिशियल कॉम्प्लेक्स, मयूर विहार फेज-2, ए-356 मीरा बाग, जी-06, माडल टाउन-3, ग्राउंड फ्लोर एवं बेसमेंट, बी-24, मोती नगर खसरा नं 24/17/2 तथा 24/17/3, मुनिस्पल नम्बर 1643, मेन रोड, नजफगढ़ ई-9 नारायणा विहार, स्टेटम हाउस 148 बाराखंभा रोड,

NAME OF NODAL BRANCHES

(for all queries regarding non receipt of refund, demand letter)

- a) **AXIS Bank Ltd.**, E-64, Greater Kailash-I, New Delhi-48, Sh. Gaurav Tandon, Ph.: 011-24531284
- b) **HDFC Bank Ltd.**, FIG-Operations, 1st Floor, Kailash Building, 26 K.G. Marg, New Delhi-01. The officer in-charge Mobile : 9899087069, 9899087092
- c) **ICICI Bank Ltd.**, S-26-28, Green Park Extn., New Delhi-16, Sh. Nitin Singhal, Ph: 011-46089175
- d) **IDBI Bank**, Surya Kiran Building, Ground Floor, 19, KG Marg, New Delhi-01. Sh. Mohit Garg Ph.: 011-43561983 | Mob.: +91-9717343063
- e) **Central Bank of India**, INA Market, Vikas Sadan, New Delhi-23 Ph.: 011-24654260 Mobile: 9999917128
- f) **State Bank of India**, INA Market, Vikas Sadan, New Delhi-23, Ph: 011-24658493
- g) **Union Bank of India**, 73-74 Sheetla House, Nehru Place, New Delhi-19, Ph: 011-26412541, 26424013 Sh.H.S. Panwar

LIST OF AUTHORISED BRANCHES

(For sale and receipt of application forms)

AXIS BANK : BRANCHES

Delhi:C-3, Phase 1, Ashok Vihar A-17 PANCHVATI ADARSH NAGAR,AZADPUR, K-1998, CHITTARANJAN PARK, 230B, 231, 232 & 231A, CORONATION HOTEL BUILDING, CHANDNI CHOWK, 18,NetaJi Subash Road,Daryaganj, B14/7, DBGupta Road, Dev Nagar, Ground oor, 253, Deepali Enclave, Near Saraswati Vihar, Pitampura, B-81 , Defence Colony, A-63 DERAWAL NAGAR, GROUND FLOOR & BASEMENT, G-12, (OPP. J&K BLOCK) DILSHAD GARDEN, HL Arcade, Sec-5 (MLU) , Plot No. 14, Dwarka, D-70 A East of Kailash, 26/5, Sahini house, East Patel Nagar, Ground Floor, 1st Floor,662/6, Shivpuri Main,Patparganj, road, Geeta Colony, , E 64, Greater Kailash -I, S-266, Greater Kailash-II, G-04-07,G-17, G-18, F-03, F-04, F-08 D-1 , Alpha Commercial Belt-I,Greater Noida, K-12 GREEN PARK, PLOT NO. 17, GROUND FLOOR AND BASEMENT, VARDHMAN PLAZA, OKHLA PHASE-I, WZ-24, Palam Village, B-2/14, Paschimvihar, PLOT NO. 5&6, DP BLOCK, LSC, PITAMPURA, 49, West Avenue Road, PunjabiBagh, Ground Floor,Rama Krishna Mission R.K. Asram Marg Paharganj, 78, Old Rajinder Nagar, A-11, Vishal Enclave,Near Rajouri Garden, Plot No. 5, Vikas Surya Plaza, Community Centre, DC Chowk, Sector-9, Rohini, D - 14,15, GITARATTAN JINDAL PUBLIC SCHOOL, SEC-7 ROHINI, 6615-22, Bahadurgarh Road, Chowk Bara Hindu Rao, Sadar Bazar, E-146, Saket, Ground Floor and First Floor, Parsvnath Shahdara Metro Tower, 23/10, Shakti Nagar, AM-196, Shalimar Bagh, C/O. Shadley Public School Press ColonyG-8 Area Opp. Rajouri Apartments, C-58,PREET VIHAR, VIKAS MARG, Swasthya Vihar, Kirpal Plaza,4A/1,Tilak Nagar, ROUND FLOOR & BASEMENT, 1796/132,JAGANNATH MARG,TRI NAGAR, WZ-G-1/262, Block G-1, MAIN NAZAFGARH ROAD, UTTAM NAGAR, Plot No 2, Ground Floor, Centre for Social Research Building,Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, 29 CC Basant Lok Complex, Vasant Vihar, G-12 A Vikaspuri NIFT Campus Hauzkhas, C-3/21, JANAKPURI, GROUND FLOOR & BASEMENT, B-1/503,JANAKPURI,B BLOCK, GROUND FLOOR & BASEMENT, PLOT NO. 51, POCKET I,JASOLA, E -1 , jhandewalan extension, M-61, Kalkaji, Aditya Corporate Plaza, Opp. Dayanand Vihar Main Gate, Community Centre Karkardooma, 6/83 , Padam Singh Road ,W.E.A., Karol Bagh, GROUND FLOOR, III/3432-3435,HASAN BUILDING, NICHOLSON ROAD,KASHMERE GATE, 2 A & B ,KHAN MARKET, F-43, KIRTINAGAR, F-2/25. Krishna Nagar, B-6, Lajpat Nagar-II, Ravissance House,1Ring Road Lajpat Nagar-4, B-163, Lokvihar, D-81,MALVIYA NAGAR, c 56, Mansarovar Garden, 22 LSC COMMERCIAL COMPLEX MAYUR VIHAR PHASE II, A-356 Meera Bagh, G-06,Model Town-III, Ground Floor & Basement,B-24,Moti Nagar Khasra No. 24/17/2 & 24/17/3,Municipal No.1643,Main Road,Najafgarh, E-9 NARAINA VIHAR, Statesman House 148 Barakhamba Road,

शपथ-पत्र**अनुलग्नक - सी**

टिप्पणी : यह शपथ-पत्र ₹ 10/- के नांन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर ₹ 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____
निवासी _____ एतद्वारा निम्न प्रकार निश्चय पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ।

1. मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. मेरे अथवा मेरी पत्नी/पति अथवा मेरे अवयस्क बच्चों अथवा मेरे किसी अन्य आश्रित सम्बन्धी के पास दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी के नगरीय क्षेत्र में पट्टा आधार पर अथवा फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई आवासीय भू-खण्ड अथवा गृह नहीं है।
3. मैं केवल एक रिहायशी इकाई के आबंटन के लिए आवेदन कर रहा हूँ।
4. पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय मैं व्यस्क था। मेरी जन्म तिथि _____ है।
5. मैंने न्यू पैटर्न आवासीय पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत अपने पंजीकरण को रोहिणी आवासीय योजना में बदला नहीं है तथा न ही न्यू पैटर्न आवासीय पंजीकरण योजना, 1979 के अन्तर्गत पंजीकरण को रद्द ही करवाया है।
6. मैंने दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक _____ को निकाली गई लाटरी में मेरी पंजीकरण संख्या _____ के तहत _____ क्षेत्र के _____ ब्लॉक, में आबंटित रिहायशी फ्लैट सं. _____ के किसी खण्ड या पूरे क्षेत्र को बेचा, हस्तांतरित या उसके कब्जे के लिए कोई अनुबन्ध नहीं किया है। मैंने किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई बिक्री अनुबन्ध मुख्तारनामा आदि भी नहीं किया है।
7. कि मैंने _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ निवासी _____ ने दि.वि.प्रा. आवास योजना.2008 के अन्तर्गत एल.आई.जी./एम.आई.जी./उच्च श्रेणी वर्ग के लिए आवेदन संख्या _____ द्वारा आवेदन किया था और मुझे पत्र संख्या _____ दिनांक _____ द्वारा _____ आवासीय योजना में फ्लैट संख्या _____ आबंटित किया गया था और मैं फ्लैट का कब्जा पाने का हकदार हूँ।

सत्यापन:

शपथकर्ता

मैं _____ निश्चयपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ऊपर पैरा 1 से 7 में लिखी बातें सत्य हैं तथा उनमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

स्थान :

दिनांक :

शपथकर्ता**ANNEXURE-C****AFFIDAVIT**

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of ₹. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth ₹. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh/Smt. _____ S/o/D/o/W/o/Shri _____ R/o _____

_____ aforesaid solemnly affirm and state as under:

1. I am a citizen of India.
2. I or my wife/husband or any of my dependent relations including minor children do not own in full or part on free hold or lease hold basis any residential plot or house in the Urban area of Delhi, New Delhi or Delhi Cantt.
3. I am applying for allotment of only one dwelling unit.
4. I have attained the age of majority at the time of applying for registration. My date of Birth is _____
5. I have not got any registration under the New Pattern Housing Regn. Scheme, 1979 transferred to Rohini Residential Scheme in the past and have not got the registration under New Pattern Housing Registration Scheme 1979 cancelled.
6. I have not sold, transferred, assigned or parted with the possession of the whole or any part of the residential at No. _____ allotted to me against my Registration No. _____ in the draw held on _____ by the DDA. That I have not executed any Sale Agreement, Power of Attorney, Agreement of Sale or agreement in favour of anybody.
7. That I, _____ S/o D/o W/o _____ R/o _____ applied for registration of LIG/MIG/HIG under DDA Housing Scheme-2008 _____, vide application No. _____ and that I have been allotted at No. _____ vide allotment letter No. _____ dated _____. That I am entitled for possession of the at _____.

VERIFICATION :

DEPONENT

I, _____, do hereby verify that the facts mentioned in Paras 1 to 7 above are correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

Place: _____

Date : _____

DEPONENT

पति की ओर से शपथ-पत्र

टिप्पणी : यह शपथ-पत्र ₹ 10/- . के नांन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर

₹ 5/- . की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।

श्री _____ पुत्र _____

निवासी _____ का शपथपत्र। मैं उपरोक्त की विधिवत पुष्टि करता हूँ और निम्नानुसार जानकारी देता हूँ :

1. कि श्रीमती _____ पुत्री _____ मेरी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हैं।

सत्यापन:

मैं, _____ एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कोई बात छुपाई नहीं गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

अभिसाक्षी

अभिसाक्षी

अनुलग्नक - ई

पत्नी की ओर से शपथ-पत्र

टिप्पणी : यह शपथ-पत्र ₹ 10/- रु. के नांन-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर ₹ 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।

श्रीमती _____ पत्नी _____

निवासी _____ का शपथपत्र। मैं उपरोक्त की विधिवत पुष्टि करती हूँ और निम्नानुसार

जानकारी देती हूँ :

1. कि श्री _____ पुत्र श्री _____

मेरे कानूनी रूप से विवाहित पति हैं।

सत्यापन:

मैं, _____ एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 1 में दिए गए तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कोई बात छुपाई नहीं गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

अभिसाक्षी

अभिसाक्षी

ANNEXURE-D

AFFIDAVIT FROM HUSBAND

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of ₹. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth ₹. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Sh. _____ S/o _____,

R/o _____.

I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

1. That Smt. _____, D/o _____, is my legally wedded wife.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, _____, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and nothing material has been concealed.

DEPONENT

Place _____

Date _____

ANNEXURE - E

AFFIDAVIT FROM WIFE

(NOTE: This Affidavit should be on a non-judicial stamp paper of ₹. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth ₹. 5/- should be affixed thereon.)

Affidavit of Smt. _____ W/o _____, R/o _____

I aforesaid solemnly affirm and declare as under:

1. That Shri _____, S/o _____, is my legally wedded husband.

DEPONENT

VERIFICATION:

I, _____, solemnly affirm and say that facts mentioned in Para 1 above is correct to the best of my knowledge and nothing is false therein and no material has been concealed.

DEPONENT

Place _____

Date _____

वचन-बंध

टिप्पणी : यह शपथ-पत्र ₹ 10/- के नान-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से सत्यापित करवायें तथा इस पर ₹ 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगायें।

जबकि मुझे अर्थात् _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी _____

श्री _____ निवासी _____

को दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम, 1968 (जिसे आगे उक्त विनियम कहा गया है) के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण को किए गए आवेदन के आधार पर _____ नामक स्थान के ब्लॉक में _____ मंजिल फ्लैट सं. _____ आबंटित किया गया है (जिसे आगे संक्षेप में फ्लैट कहा गया है)।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत मुझे फ्लैट का कब्जा सौंपने से पहले मेरे लिए फ्लैट के साथ लगे हुए सामान्य भागों और सेवाओं के प्रबन्ध और प्रशासन के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ एक एजेन्सी या गठन और पंजीकरण कराना, फ्लैट का हस्तांतरण विलेख और भूमि का संयुक्त पट्टा विलेख फ्लैट के अनुलग्न-पत्र का किराया खरीद किरायेदारी करार निष्पादित कराना बाध्यकर होगा।

और जबकि उक्त विनियमों के अन्तर्गत पूरी की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने और विनियमों में निर्धारित दस्तावेजों का निष्पादन और पंजीकरण कराने से पूर्व अपने हित में मैंने फ्लैट का कब्जा लेने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवेदन किया है।

मैं _____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री _____ निवासी _____

एतद्वारा वचन देता हूँ कि आबंटित फ्लैट का कब्जा पहले दिए जाने की स्थिति में उन सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करूंगा जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवासीय सम्पदाओं का प्रबन्ध और निपटान) विनियम 1968 में निर्धारित है, जिसमें इस विनियम में निर्धारित दस्तावेजों की शर्तें शामिल हैं या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैट के किराया खरीद किराएदारी करार, हस्तांतरण विलेख और फ्लैटों के अनुलग्न क्षेत्र के अंतर्गत भूमि के संयुक्त पट्टा _____ विलेख _____ में _____

निर्धारित की जाएं और मैं उन पर हस्ताक्षर करूंगा और उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ निष्पादित करूंगा तथा उनका पंजीकरण फ्लैट सौंपने की तिथि से 90 दिन के अन्दर या उस बढ़ाई गई अवधि में उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित तरीके से अपने जोखिम और खर्चों पर करवा दूंगा जिसकी अनुमति दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दी जाए और 90 दिन की उक्त अवधि या उस बढ़ाई गई अवधि के दौरान, (जैसा भी स्वीकृत हो) आबंटित फ्लैट के साथ संलग्न सामान्य सेवाओं के रखरखाव की देखभाल कराने के लिए जिम्मेदार होऊंगा।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं उक्त विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित पंजीकृत एजेन्सी का गठन करूंगा और उसका सदस्य बनूंगा तथा उसके लिए बनाए गए आदर्श संविधान का पालन करूंगा जिसे मैंने पढ़ लिया है और उसे समझ लिया है।

मैं दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूर्व और लिखित अनुमति लिए बिना आबंटित आवासीय इकाई में कोई परिवर्द्धन और परिवर्तन न करने का वचन देता हूँ। यदि मैं इसमें दिए गए वचन को पूरा करने में असमर्थ रहा तो दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय इकाई का आबंटन रद्द करने और कब्जा वापिस लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

सन् 20 _____ के _____ मास के _____ दिन निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

1. साक्षी _____ आबंटिती

2. साक्षी _____

ANNEXURE-F

UNDERTAKING

(NOTE: This Undertaking should be on a non-judicial stamp paper of ₹. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth ₹ 5/- should be affixed thereon.)

WHEREAS, I, _____, S/o,W/o D/o, _____ R/o _____

on an application made to the Delhi Development Authority under the Delhi Development Authority (Management & Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968 (hereinafter called the said Regulation) have been allotted a _____ (hereinafter called the Flat).

AND WHEREAS under the said Regulation, it is obligatory on my part to form a registered agency with the Vice-Chairman, DDA for the Management and Administration of the common portions and common services attached to the flats, execute the conveyance deed for the flat and joint lease deed for the land, under the appurtenant to the flats before the possession of the flat is handed over to me.

AND WHEREAS I in my own interest have applied to Delhi Development Authority for the possession of the flat allotted for immediate occupation, before the completion of the various formalities required to be performed by me under the said regulations and execution and registration of the documents provided in the Regulations.

I, _____, S/o,W/o D/o, _____ R/o _____

hereby undertake that in the event of the possession of the flat allotted being given to me earlier, I shall abide by all the terms and conditions that are set forth in the DDA (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations, 1968, including the documents containing therein, or may be set forth in the Conveyance Deed for the flat and the joint lease deed for the land under the appurtenant to the flats by the Delhi Development Authority and shall sign and execute the same with the Delhi Development Authority and get the same registered at my own cost and expenses in the manners prescribed under the said Regulations within 90 days from the date of handing over the possession of the flat or such extended period as may be permitted by the Vice Chairman of Delhi Development Authority from time to time and that during the said period of 90 days of such extended period as may be permitted, I shall be responsible for looking the maintenance of the common services attached to the flat allotted.

I, further undertake that we shall constitute and become, a member of the Registered Agency prescribed under the said Regulations and abide by the constitution, a model form of which I have read and understood.

I also undertake not to make any additions and alterations in the dwelling unit allotted to me without obtaining prior and written permission from the D.D.A. It will be open to DDA to cancel the allotment and resume the possession of the dwelling unit, if I fail to fulfil the undertaking given herein.

Signed by me _____ on _____ day of _____ Two Thousand

In the presence of Witnesses:-

1. _____
2. _____

वचन-पत्र

टिप्पणी : यह शपथ-पत्र ₹ 10/- के नान-जूडीशियल स्टाम्प पेपर पर हो और इसे मजिस्ट्रेट/सब-जज/नोटरी पब्लिक से स्त्यापित करवाये तथा इस पर ₹ 5/- की अतिरिक्त स्टाम्प भी लगाये।

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री _____
निवासी _____ निम्नानुसार वचन देता हूँ _____.

1. कि मैं भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से तय रूपान्तरण प्रभार के अंतर का भुगतान करूँगा और माँग के अनुसार दि. वि. प्रा. को भुगतान करूँगा, यदि ये वर्तमान प्रभारित के अतिरिक्त हों।
2. कि मैं बढ़े हुए रूपान्तरण प्रभारों पर रूपान्तरण प्रभारों की दरों के अंतिम निर्णय के समय स्टाम्प ड्यूटी का भी भुगतान करूँगा और मैं पूरक कन्वीएंस डीड के निष्पादन/पंजीकरण कराने के लिए तैयार हूँ।

निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में मेरे द्वारा दिल्ली में _____ हस्ताक्षरित _____

आबंटी

गवाह :-

1.

2.

ANNEXURE-G

UNDERTAKING

(NOTE: This Undertaking should be on a non-judicial stamp paper of ₹. 10/- and shall be attested by Magistrate/Sub-Judge/Notary Public and an extra stamp worth ₹. 5/- should be affixed thereon.)

I, _____ S/o D/o W/o Sh. _____

R/o _____ hereby undertake as under:

1. That I will pay the difference of conversion charges finally decided by Govt. of India and will pay to DDA as demanded, if they are in excess of the presently charged conversion charges.
2. That I will also pay the stamp duty at the time of final decision of the rates of the conversion charges on the increased conversion charges and ready to execute / get registered the supplementary conveyance deed.

Signed by me at the Delhi on this _____ in the presence of the following witnesses:-

Witnesses:-

1. _____

2. _____

ALLOTTEE

दिल्ली विकास प्राधिकरण (आवास विभाग)

अनुलग्नक - एच

सं. एफ () (चार प्रतिलिपियाँ) दिनांक _____

विषय : श्रेणी अन्तर्गत
ब्लाक / सेक्टर आवासीय योजना में पाकेट युप मंजिल पर फ्लैट सं. का आबंटन

पासपोर्ट आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
चिपकाएं

ज्ञापन उपर्युक्त फ्लैट श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री

को आबंटित किया गया है। इस पत्र के जारी होने की तिथि से दिनों के अन्दर उपर्युक्त आबंटिती को फ्लैट का कब्जा सौंप दिया जाए। फ्लैट का कब्जा लेने के लिए कार्य-स्थल पर उपस्थित होने के लिए आबंटिती से अनुरोध किया जा रहा है। मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी/अधिकृत नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित किए गए आबंटितों के हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं। खाली स्थान भरने के बाद इस कब्जा पत्र को एक प्रति अधिशासी अभियन्ता द्वारा हमारे कार्यालय के रिकार्ड के लिए भिजवा दी जाए।

सहायक निदेशक (आवास) दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिशासी अभियन्ता

श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री/ श्री के हस्ताक्षर एतद्वारा अनुप्रमाणित किए जाते हैं।

आबंटिती के हस्ताक्षर

मुहर सहित मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित

प्रतिलिपि श्री/श्रीमती/कुमारी को वे कृपया इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर कनिष्ठ अभियन्ता, स्थल अधिकारी को मिलें जो उन्हें फ्लैट का कब्जा सौंपेंगे। यदि उपर्युक्त अवधि के अन्दर आप कार्यस्थल पर नहीं मिलें तो आपको और कोई सूचना दिए बिना आबंटन रद्द कर दिया जाएगा।

आबंटिती का पता

सहायक निदेशक (आवास), दिल्ली विकास प्राधिकरण

विशेष ध्यान दीजिए :- यदि हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक द्वारा अनुप्रमाणित कराए जाएं तो 5/- रु. की नोटरियल स्टाम्प लगाई जाए।

यह पुष्टि की जाती है कि _____ श्रेणी के अन्तर्गत _____ आवासीय योजना में _____ मंजिल पर बने फ्लैट सं. _____ का कब्जा दिनांक _____ को दिया गया था।

सहायक निदेशक (आवास)

अधिशासी अभियन्ता

यदि उपर्युक्त तिथि को कब्जा न सौंपा जा सका हो तो टिप्पणी वाले खाने में अधिशासी अभियन्ता या उनके प्रतिनिधि को समुचित कारण देने चाहिए

ANNEXURE - H

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY, HOUSING DEPARTMENT, D-BLOCK,
VIKAS SADAN, NEW DELHI
(In Quadruplicate)

No.: F. ()/ Dated _____

Sub: Allotment of house bearing No. _____ Sector _____, Pocket/Block _____ in _____ Residential Scheme under _____ in (Type) _____ Category _____. The house mentioned above has been allotted to Shri/Smt./Miss _____ S/o D/o W/o Sh. _____ The possession of the house may be handed over to the allottee within 90 days of the date of issue of this letter. The allottee is being requested to be present at site to take over the physical possession. Signature of the allottee duly attested by Magistrate Class-I, Gazetted Officer/Authorized Notary Public has been given below. One copy of this possession letter after filling up the blanks may be sent to the undersigned by the Executive Engineer for our office record.

Affix
Attested
Pasport size
Photograph

Asstt. Director
Delhi Development Authority

The Executive Engineer,

Signature of Shri/Smt./Miss _____ S/o D/o W/o Shri _____ are hereby attested.

Signature of the Allottee Attested by Magistrate
Class-I/Gazetted Officer/Notary Public with seal

Copy forwarded to Shri/Smt./Miss _____ with the request that he/she may kindly report to the Jr. Engineer, Site Officer within 30 days from the date of issue of this letter who will hand over the possession of the house to him/her. In case of default or in reporting at site within the period indicated above, the allotment would be cancelled without any further notice to you.

Asstt. Director (Housing) (Delhi Development Authority)

Address of Allottee

N.B.: In case the signatures are attested by Notary Public, the Notarial stamp of Rs. 5/- may be affixed. This is to inform that the possession of house bearing No. _____ in _____ Residential Scheme under _____ Category was given to allottee on ____.

Executive Engineer _____ Division (Rubber Stamp)

Asstt. Director (Housing)

In Case, the possession could not be handed over on the date indicated above, the Executive Engineer or his representative should give valid reasons in the remarks Column.

श्री _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री _____
 निवासी _____ और श्रीमती _____
 पत्नी श्री _____

	श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो	श्री _____
1.		की फोटो
2.		
3.		

	श्री _____ के नमूना हस्ताक्षर और फोटो	श्री _____
1.		की फोटो
2.		
3.		

मुहर सहित सत्यापित

हस्ताक्षर _____ नाम _____ पद _____

टिप्पणी : फोटोग्राफ हस्ताक्षर और मुहर सहित आधे फोटोग्राफ और आधे कागज पर सत्यापित होना चाहिए। हस्ताक्षर और मुहर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक / किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

ANNEXURE - I

Specimen signature and photograph of Shri _____ S/o, D/o, W/o, Sh. _____ R/o _____
 _____ and Smt. _____ W/o Shri. _____

	Specimen Signature of Sh.	Photo of Shri
1.		
2.		
3.		

	Specimen Signature of Sh.	Photo of Shri
1.		
2.		
3.		

Attested with seal

Signature _____ Name _____ Designation _____

NOTE: Photograph should be attested with stamp and signature half on the photograph and half on the paper. Signatures and Photograph should be attested by 1st Class Magistrate/Notary Public/Any other Competent Authority.